



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072021-228316
CG-DL-E-15072021-228316

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2637]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943

No. 2637]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

का.आ. 2842(अ).—केन्द्रीय सरकार, 2 जून, 2014 से प्रभावी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए एक शीर्ष परिषद् का गठन करती हैं;

और अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने 28 मई, 2014 को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात केआरएमबी कहा गया है) का गठन किया और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रख-रखाव और प्रचालन के लिए इसमें उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करने हेतु यह 2 जून, 2014 से प्रभावी हो गया;

उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (8) उपबंध करती है कि केआरएमबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे,-

(क) अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा किए गए अधिनिर्णयों और विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी करार या व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं से उत्तरवर्ती राज्यों को जल प्रदाय का विनियमन;

(ख) विद्यमान आंध्र प्रदेश और किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी करार अथवा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्युत का वितरण करने के भारसाधक प्राधिकारी को उत्पादित विद्युत का प्रदाय किए जाने का विनियमन;

(ग) उत्तरवर्ती राज्यों के माध्यम से नदियों या उनकी सहायक नदियों से संबंधित जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित ऐसे शेष चल रहे या नए संकर्मों का निर्माण, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(घ) कृष्णा नदी पर नई परियोजनाओं के निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव का आंकलन तथा यह समाधान करने के पश्चात कि ऐसी परियोजनाओं से अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन नियत दिन से पूर्व पहले से पूरी हो गई या आरम्भ की गई परियोजनाओं के लिए गठित प्राधिकरणों के अधिनिर्णयों के अनुसार जल की उपलब्धता पर नाकारत्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तकनीकी मंजूरी प्रदान करना;

(ङ) ऐसे अन्य कार्य, जिन्हें केंद्रीय सरकार ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर उसे सौंपे।

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (i) उपबंध करती है कि बोर्ड उतने कर्मचारी नियोजित करेगा जितने वह इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझें और ऐसे कर्मचारियों को, प्रथमतः उत्तरवर्ती राज्यों से समान अनुपात में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड में स्थाई रूप से आमेलित किया जाएगा।

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (2) उपबंध करती है कि उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारें सभी समयों पर बोर्ड को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सभी व्ययों (जिसमें कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों शामिल हैं) को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएंगी और ऐसी रकमों को संबंधित राज्यों में ऐसे अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जैसे केंद्रीय सरकार उक्त राज्यों में से प्रत्येक के फायदे को देखते हुए विनिर्दिष्ट करें;

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (4) केंद्रीय सरकार को केआरएमबी को कुशलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, संबंधित राज्य सरकारों या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देशों देने के लिए सशक्त करती है जो ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे;

और उक्त अधिनियम की धारा 81 की उप-धारा (i) उपबंध करती है कि बोर्ड साधारण-तया संबंधित राज्यों को जल या विद्युत प्रदाय करने के लिए आवश्यक जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) नहर नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों पर गोदावरी तथा कृष्णा नदियों पर उन परियोजनाओं में से किसी के संबंध में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेगा जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा अंतरराज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा किए गए निर्णयों यदि कोई हों, के अनुसार अधिसूचित की जाए;

और उक्त अधिनियम की धारा 92 उपबंध करती है कि कोयला, आयल तथा प्राकृतिक गैस और विद्युत सृजन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों पर जैसा बाहरवीं अनुसूची में दिया गया है, नियत दिवस अर्थात् 2 जून, 2014 पर और से, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सिद्धान्तों, दिशा-निर्देश, निर्देश आदेश उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

और, 6 अक्टूबर, 2020 को आयोजित शीर्ष परिषद् की दूसरी बैठक में गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड दोनों की अधिकारिता अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड साधारणतया कृष्णा नदी पर निम्नलिखित अधिकारिता का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-

1. (क) इस अधिसूचना की अनुसूची-1 अनुसूची-2 और अनुसूची-3 में यथा-विनिर्दिष्ट जल शीर्षतंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों से संबंधित परियोजनाएं तथा इसके सहायक कार्य।

(ख) उत्तरवर्ती राज्यों को परियोजनाओं तथा इसके सहायक कार्यों से सृजित जल तथा विद्युत प्रदाय से संबंधित सभी कार्य करना तथा विनियमन करना, जैसा उक्त अधिनियम भाग 9 और बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया है-

(i) कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों को ध्यान में रखकर,

(ii) तत्कालीन मौजूद आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ किए गए किसी समझौते या व्यवस्था के अधीन; और

(iii) अन्य कोई व्यवस्था जो इस संबंध में सह-बेसिन राज्यों द्वारा दी जाए।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,-

- i. अनुसूची-1 जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना), परियोजनाओं अथवा घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिर्दिष्ट करती है जिस पर शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों में कृष्णा नदी बेसिन में सभी मौजूदा तथा चल रही परियोजनाओं (अपेक्षित अनुमोदन के अध्याधीन) को शामिल करते हुए लिए गए निर्णयों के अनुसार केआरएमबी की साधारणतया अधिकारिता होगी।
- ii. अनुसूची-2 (अनुसूची-1 का एक सबसेट) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) तथा परियोजनाओं या घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिर्दिष्ट करती है जिस पर कृष्णा नदी बोर्ड की अधिकारिता होगी और उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कार्य निष्पादन करेगा, जैसे कि प्रशासन, प्रचालन, रख-रखाव तथा विनियमन।
- iii. अनुसूची-3 (अनुसूची-1 का एक सबसेट) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) तथा परियोजनाओं या घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिर्दिष्ट करती है जिस पर कृष्णा नदी बोर्ड की अधिकारिता होगी, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित कार्य उक्त बोर्ड के निदेशों के अनुसार केआरएमबी की ओर से संबंधित द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।
- iv. उपर्युक्त सभी अनुसूचियां समय-समय पर राजपत्र में जारी की गईं, समरूप अधिसूचना द्वारा संशोधनों के अध्याधीन हैं।

(ग) केआरएमबी अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निदेश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे, और संबंधित राज्य सरकारें तत्काल ऐसे कार्य करेगी।

(घ) इस अधिसूचना की अनुसूची-1, अनुसूची-2 या अनुसूची-3 में किसी अननुमोदित परियोजना के केवल शामिल होने मात्र से "अनुमोदित समझी गई हैं" की स्थिति प्रदान नहीं होती। अनुसूचियों में कोई पूरी की गई और चल रही अननुमोदित परियोजनाएं उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मूल्यांकन और अनुमोदन के अध्याधीन होगी।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अनुमोदित न की गई परियोजना से किसी प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना अभिप्रेत है जो

- (i) धारा 85 की उप-धारा (8) के खंड (घ) के अनुसार केआरएमबी द्वारा आकलित और उक्त अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (3) के खंड (ii) के अनुसार शीर्ष परिषद् द्वारा अनुमोदित न की गई हो; या
- (ii) केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सिंचाई तथा बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर सलाहकार समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात टीएसी कहा गया है) द्वारा अनुमोदित न की गई हो; या
- (iii) यथास्थिति केआरएमबी या शीर्ष परिषद अथवा टीएसी द्वारा पहले अनुमोदित गई, और जहां कार्य क्षेत्र में परिवर्तन है (जैसे आकार, क्षमता, ज्यामिति, स्तर तथा स्थान में परिवर्तन; इनटेक बिंदुओं, जलद्वारों, एप्रोच चैनलों, रेग्यूलटरों तथा नहर संरचनाओं, सुरंगों, नहरों तथा वितरण नेटवर्कों, सेवा दिए जाने वाले कमान क्षेत्र में परिवर्तन, भंडारण में परिवर्तन तथा जल उपयोगिता में वृद्धि आदि)।

(ङ) इस अधिसूचना के प्रारम्भ की तारीख से ही, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अधीन गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऐसी निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के दैनिक प्रबंधन में और केआरएमबी द्वारा सौंपे गए सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों में केआरएमबी की सहायता करेगा।

(च) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी, केआरएमबी दोनों राज्य सरकारों को आपदा या सूखा अथवा कृष्णा नदी में बाढ़ के प्रबंधन के संबंध में विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं

के प्रबंधन तथा न्यूनतम करने के लिए पानी छोड़ने के संदर्भ में सलाह देगा। केआरएमबी को बांधों, जलाशयों के जल शीर्ष तंत्र या नहरों तथा हाइडल विद्युत परियोजनाओं सहित इसके संबद्ध कार्यों के जल शीर्ष तंत्रों के प्रचालन के संबंध में उत्तरवर्ती राज्य सरकारों द्वारा अपने आदेशों को तत्काल तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करवाने का पूर्ण प्राधिकार होगा।

(छ) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में, इस अधिसूचना के आरम्भ की तारीख से पहले किसी ठेके की वित्तीय देयता, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य किसी न्यायालय या अधिकरण में फाईल किसी वर्तमान और भविष्य के मामलों से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा।

(ज) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों से किसी भी व्यक्ति को केआरएमबी का अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, सदस्य और मुख्य अभियंता नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(झ) इस अधिसूचना के आरंभ की तारीख से पहले इस अधिसूचना की अनुसूची-2 में यथा-विनिर्दिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक अवसंरचना) नहर नेटवर्क के भाग और पारेषण लाइनों के लिए अनुमोदित पदों की संख्या, इस अधिसूचना के आरंभ की तारीख से केआरएमबी की अधिकारिता के अधीन आएगी। इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से पहले अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों के संबंध में कोई भी कार्य कर रहा वर्क-चार्जड कर्मचारीवृन्द, आउटसोर्सिंग आधार पर कार्यरत कर्मचारीवृन्द और अन्य कोई अधिकरण, इस अधिसूचना के आरम्भ होने की तारीख से केआरएमबी की अधिकारिता के अधीन आएगी।

(ञ) उक्त अधिनियम के अधीन कार्यों के लिए या के संबंध में क्रय किए गए या प्राप्त किए गए संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिर्दिष्ट गैर परिचालन के लिए इस पैरा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। परिचालन परियोजनाओं या घटकों के संबंध में जल शीर्ष तंत्र बैराज, बांध, जलाशय, विनियमन ढांचे), अनुसूची-2 में यथा-विनिर्दिष्ट इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिर्दिष्ट गैर परिचालन के लिए इस पैरा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। नहर नेटवर्क का हिस्सा और पारेषण लाइनें, इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से केआरएमबी की अधिकारिता में आएंगी। इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिर्दिष्ट गैर-परिचालन परियोजनाओं के लिए, इस खंड के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से लागू होंगे।

(ट) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों के जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक ढांचे), नहर नेटवर्क के हिस्से और पारेषण लाइनों के संबंध में, उक्त अधिनियम के अधीन कार्यालय परिसर, उपस्कर, फर्नीचर, यान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना या घटक के संचालन के प्रारंभ से अभिलेख या दस्तावेज, परियोजना से संबंधित कोई अन्य बुनियादी ढांचा और उसके आनुषंगिक कार्यों के संबंध में कोई अन्य सहायक उपकरण, इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से केआरएमबी की अधिकारिता में आएंगे। इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिर्दिष्ट गैर-परिचालन परियोजनाओं के लिए, इस खंड के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से लागू होंगे।

(ठ) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें) प्रत्येक दो सौ करोड़ रुपए की एकमुश्त प्रारंभिक रकम प्रदान करेंगी और इसे केआरएमबी बैंक खाते में जमा किया जाएगा जो केआरएमबी को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाएगा।

(ड) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना केआरएमबी के कृत्यों के लिए अपेक्षित निधियां नियमित रूप से और किसी भी मामले में, अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ केआरएमबी सचिवालय से प्राप्त अनुरोध के पंद्रह दिनों के भीतर उसके बैंक खाते में जमा करेंगे। संबंधित राज्य सरकार, परियोजनाओं या घटकों और केआरएमबी के कृत्यों में किसी भी अवांछित या अप्रत्याशित परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, जो ऐसी निधियों को विलंब से जारी करने के कारण उत्पन्न हो।

(ढ) उक्त अधिनियम की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार केआरएमबी द्वारा जारी किए गए सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, निर्देशों और आदेशों को, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के संबंध में दोनों राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा।

(ण) यदि कोई प्रश्न उठता है कि उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के तहत उसके अधीन संदर्भित किसी परियोजना पर केआरएमबी को अधिकारिता है अथवा नहीं, तो ऐसे मामले को उस पर विनिश्चय के लिए केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(त) अनुसूची-2 में केन्द्रीय विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन कोई भी कृत्य या क्रियाकलाप जो उल्लिखित नहीं है, संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों को निम्नलिखित के अनुपालन का निदेश देती है, अर्थातः--

(क) केआरएमबी इस अधिसूचना द्वारा आज्ञापक कृत्यों का पालन करने के लिए प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर एक समुचित संगठनात्मक संरचना का अनुमोदन और स्थापित करेगा और केंद्रीय सरकार में सेवारत सभी श्रेणियों के पदों के अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रयास करेगा।

(ख) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित होती है, अधिसूचना की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक ढांचे), नहर नेटवर्क का हिस्सा पारेषणलाइनों की अधिकारिता केआरएमबी को पूरी तरह से सौंप देंगी ताकि उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) में उल्लिखित कृत्यों का पालन करने में सक्षम बनाया जा सके।

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना की अनुसूची-3 में निर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अगले निदेशों तक, संबंधित राज्य सरकारें परियोजनाओं का प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन केआरएमबी की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित है।

(घ) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित हो जाती है, केआरएमबी के लिए अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के सभी पदों का स्थानांतरण और अपेक्षित कर्मचारिवृंद की प्रतिनियुक्ति के लिए समुचित आदेश जारी करेंगी।

(ङ) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित हो जाती है, केआरएमबी के लिए पैरा 1 के खंड (अ) और (ट) के अधीन मदों के अंतरण के लिए, जो है जहां है के आधार पर, उचित आदेश जारी करेंगी।

(च) दोनों राज्य सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक अस्वीकृत परियोजनाओं पर चल रहे सभी कार्यों को तब तक रोक देंगी जब तक कि उक्त परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में किए गए विनिश्चय के अनुसार नहीं कर लिया जाता है। यदि इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के भीतर यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो उक्त चल रही किसी भी अस्वीकृत परियोजना का पूर्ण या आंशिक परिचालन समाप्त कर दिया जाएगा।

(छ) दोनों राज्य सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुसार मूल्यांकित और अनुमोदित/अननुमोदित परियोजनाओं को पूरा करेगी। यदि इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के नियत समय के भीतर अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसे पूर्ण अननुमोदित परियोजनाओं का प्रचालन समाप्त हो जाएगा।

3. यह अधिसूचना तारीख 14 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची - 1

जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुखवर्क (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा, और परियोजनाओं/घटकों की पारेषण लाइनें, जिस पर केआरएमबी का अधिकार क्षेत्र होगा

| क्र.सं. | परियोजना/घटक का नाम | राज्य | श्रेणी | प्रास्थिति | अनुमोदित/ अननुमोदित | परिचालित प्रास्थिति |
|---------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | श्रीशैलम परियोजना | एपी/टीएस | | | | |
| | 1.1 श्रीशैलम प्रोजेक्ट स्पिलवे और | ए.पी/टीएस. | लागू नहीं | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | |
|--|--------|----------------|-------|---|--------------|
| नदी जल द्वार | | होता | | | |
| 1.2 श्रीशैलम दाएँ किनारे पर बिजली घर | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 1.3 श्रीशैलम बाएँ किनारे पर बिजली घर | टी.एस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 1.4 पोथिरेड्डीपाडु प्रमुख विनियामक और एसआरएमसी | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 1.5* बनकचेरला क्रॉस विनियामक कॉम्प्लेक्स (बीसीआर) | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 1.6* निम्पुलावागु एस्केप नहर बीसीआर से संताजुतुर एनीकट तक | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 1.7* एसआरबीसी प्रणाली ओउक जलाशय तक | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 1.8* वेलिगोडु संतुलन जलाशय (क) टीजीपी लिंक नहर (ख) स्पिलवे (ग) तेलुगु गंगा नहर के लिए मानव संसाधन संरचना (घ) उच्च स्तरीय नहर | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 1.9* तेलुगु गंगा परियोजना: टीजीसी प्रमुख कार्य | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | परिचालित |
| 1.10 वेलिगोंडा परियोजना; प्रमुख नियामक, सुरंग, संबंधित कार्य और नल्लामाला सागर | ए.पी. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| 1.11 श्रीशैलम वाम तट नहर (एसएलबीसी); सेवन, सुरंग, संबंधित संरचनाएं और नक्कलगंडी जलाशय | टी.एस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| 1.12 श्रीशैलम बाएँ किनारे पर नहर (एसएलबीसी)-अतिरिक्त 10 टीएमसी: सेवन और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| 1.13 हंड्रीनिवा लिफ्ट सिंचाई योजना: पंप हाउस और संबंधित कार्य | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | परिचालित |
| 1.14 कलवाकूर्थी लिफ्ट सिंचाई योजना: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | परिचालित |
| 1.15 कलवाकूर्थी लिफ्ट सिंचाई योजना-अतिरिक्त 15 टीएमसी: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| 1.16 पलामुरु रंगा रेड्डी एलआईएस: | टी.एस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|-------|--|--------------|
| | पंप हाउस और संबंधित कार्य | | | | | |
| | 1.17 मुचुमरी लिफ्ट सिंचाई योजना: पंप हाउस और संबंधित कार्य | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 1.18 डिंडी (नक्कलगंडी) एलआईएस | टी.एस. | बड़ा | सतत | अनुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 1.19 जीएनएसएस: प्रमुख कार्य और संबंधित संरचनाएं | ए.पी. | बड़ा | सतत | अनुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | परिचालित |
| | 1.20 1.1 से 1.19 के सिवाए अन्य शेष कार्य | | | | | |
| 2 | डिंडी परियोजना | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 3 | सिद्धपुरम एलआईएस | ए.पी. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 4 | नागार्जुन सागर परियोजना | ए.पी./टीएस | | | | |
| | 4.1 नागार्जुन सागर परियोजना स्पिलवे और नदी/शूट जलमार्ग | टीएस/ ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.2 नागार्जुन सागर मेन बिजली घर | टी.एस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.3 नागार्जुन सागर राइट (जवाहर) नहर बिजली घर | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.4 नागार्जुन सागर राइट (जवाहर) नहर प्रमुख विनियामक | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.5 नागार्जुन सागर वाम (लाल बहादुर) नहर विद्युत गृह | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.6 नागार्जुन सागर बाएँ (लाल बहादुर) नहर प्रमुख विनियामक | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.7 पलेयर जलाशय योजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.8 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर-16+17वीं शाखा नहर एनएसएलबीसी मुख्य नहर से उठाव @ किमी154.593 | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.9 नागार्जुन सागर बाएं (लाल बहादुर) नहर-मंगपुरम एनएसएलबीसी मुख्य नहर @KM164.752 से प्रमुख उतार | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.10 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर-बोनाकल शाखा नहर 21वीं एमबीसी @Km14.030 से उठाव | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.11 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर-मधीरा शाखा नहर 21वीं एमबीसी @ किमी 71.850 से उठाव | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|-------|----------|----------|
| | 4.12 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर-मेजर से तिरुवरु तक 21वीं एमबीसी @ किमी 83.515 से उठाव | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.13 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर-मेजर से ककरला तक 21वीं एमबीसी @Km94.699 से उठाव | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.14 नागार्जुन सागर वाम (लाल बहादुर) नहर-ए.पी. -टी.एस. 21वीं एमबीसी की सीमा @ किमी 101.36 | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.15 नागार्जुन सागर बाढ़ प्रवाह नहर: प्रमुख नियामक और संबंधित कार्य | टी.एस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.16 एलिमिनेटी माधव रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना: पंप हाउस और अन्य संबंधित कार्य | टी.एस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.17 एचएमडब्ल्यूएसएस: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.18 भक्त रामदास एलआईएस: पंप हाउस और संबंधित वर्क्स | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.19 उपरोक्त 4.1 से 4.18 के सिवाए शेष कार्य | | | | | परिचालित |
| 5 | नागार्जुन सागर टेल पॉड | टीएस/ ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 5.1 टेल पॉन्ड, स्पिलवे, रिवर स्लुइस, संबंधित वर्क्स | टीएस / ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 5.2 एनएस टेल पॉन्ड बिजली घर | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 5.2 5.1 और 5.2 के सिवाए अन्य शेष कार्य | | | | | परिचालित |
| 6 | तुंगभद्रा परियोजना | ए.पी./टीएस/केए | | | | परिचालित |
| | 6.1 तुंगभद्रा दायां किनारा निम्न स्तर की नहर | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 6.2 तुंगभद्रा दायां किनारा उच्च स्तरीय नहर चरण - I और II | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 6.3 6.1 और 6.2 के सिवाए शेष कार्य | | | | | परिचालित |
| 7 | जटपल्ली परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 8 | भैरवनिटिप्पा | ए.पी. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 9 | रजोली बांदा डायवर्जन योजना | केए ए.पी./टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|
| | 9.1 प्रमुख कार्य और संबंधित कार्य | केए/ ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 9.2 सिंधनूर के पास क्रॉस विनियामक | केए/टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 9.3 थुमिला एलआईएस: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टीएस | बड़ा | सतत | अननुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित |
| | 9.4 9.1, 9.2 और 9.3 के सिवाए अन्य शेष कार्य | | | | | परिचालित |
| 10 | गुरु राघवेंद्र एलआईएस | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 11 | केसी नहर परियोजना | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 11.1 सनकेसुला बैराज, प्रमुख विनियामक और अन्य संबंधित कार्य | ए.पी. | | | | परिचालित |
| | 11.2 एसआरबीसी से नहरों को जोड़ें | ए.पी. | | | | परिचालित |
| | 11.3. 11.1 और 11.2 के सिवाए अन्य शेष कार्य | | | | | परिचालित |
| 12 | गजुलादीन | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 13 | कोटिपल्लीवागु | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 14 | प्रियदर्शिनी जुराला परियोजना | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 14.1 स्पिलवे, नहर प्रमुख विनियामक और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 14.2 नेटटेम्पाडु एलआईएस: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | परिचालित |
| | 14.3 नेटटेम्पाडु एलआईएस-अतिरिक्त 3.4 टीएमसी: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | सतत | Unअनुमोदित | परिचालित |
| | 14.4 राजीव भीम लिफ्ट योजना: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 14.5 कोइल सागर लिफ्ट: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 14.6 14.1 से 14.5 के सिवाए अन्य शेष कार्य | | | | | परिचालित |
| 15 | कोइल सागर परियोजना | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 16 | ओकाचेट्टीवागु | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 17 | मुसी परियोजना | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 18 | डॉ. के.एल.राव पुलीचिंतला परियोजना जलाशय | ए.पी./टीएस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 18.1 स्पिलवे, नदी जल द्वार , संबंधित कार्य | ए.पी./टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|----------------|-------|----------------------|-----------------------|
| | 18.2 बिजली घर | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 18.3. 18.1 और 18.2 के सिवाए अन्य शेष कार्य | | | | | |
| 19 | मुनियेरु परियोजना का पुनर्निर्माण | ए.पी./टीएस. | मध्यम | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 19.1 प्रमुख कार्य, जलाशय, स्पिलवे, नदी जल द्वार , नहर प्रमुख विनियामक और अन्य संबंधित कार्य | ए.पी./टीएस | मध्यम | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 19.2 बायीं नहर नेटवर्क | ए.पी. | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी अनुमोदित | परिचालित |
| 20 | पाखल झील | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी अनुमोदित | परिचालित |
| 21 | वायरालेक | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी अनुमोदित | परिचालित |
| 22 | लंकासागरी | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 23 | गोदावरी जल को कृष्णा बेसिन की ओर मोड़ना | | | | | |
| | 23.1 कालेश्वरम परियोजना के अधीन कोंडापोचम्मा जलाशय से नहर पर शमीरपेट झील के लिए इन्फॉल विनियामक | टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित |
| | 23.2 कालेश्वरम परियोजना के अधीन मलकानगिरी/गंधमल्ला जलाशय का इन्फॉल विनियामक | टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित |
| | 23.3 जे.चोक्का राव देवदुला गोदावरी लिफ्ट सिंचाई योजना के अधीन डब्बा वागू को पाखल झील की ओर जाने वाला इन्फॉल विनियामक | टीएस | लागू नहीं होता | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 23.4 सीताराम एलआईएस के अधीन तीसरी लिफ्ट पर पंप हाउस | टीएस | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 23.5 एसआरएसपी चरण- II- के अधीन मायलावरम जलाशय में इन्फॉल विनियामक | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 23.6 वेम्पाडु (चित्तलपुडी एलआईएस के अधीन) - 21 वीं मुख्य शाखा (नागार्जुनसागर एलएमसी के अधीन) नुज़िवुडु बीआर (21/10 बी), मायलावरम बीआर (21/10 ए), जमेलपुरम (21/10 ए) मेजर और वेम्पाडु मेजर (21/11) के लिए लिंक। | ए.पी. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 23.7 बुडेमेरु कृष्णा बेसिन की ओर मोड़ | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी अनुमोदित | परिचालित |
| | 23.8 पोलावरम आरएमसी-एनएस-एलएमसी लिंक (ब्लॉक 21/11 और 21/10बी के एनएस-एलएमसी कमांड का विस्तार | ए.पी. | बड़ा | सतत | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----------------|-------|----------------|-----------------------|
| 24 | गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक: कृष्णा बेसिन के लिए गोदावरी जल डायवर्जन (जीडब्ल्यूडीटी ने कृष्णा डेल्टा के लिए नागार्जुनसागर परियोजना से डिस्चार्ज को विस्थापित करने के लिए कृष्णा बेसिन की ओर मोड़ने के लिए 75% निर्भरता पर गोदावरी पानी का 80 टीएमसी आवंटित किया, इस प्रकार नागार्जुनसागर के प्रतिप्रवाह परियोजनाओं के लिए उपयोग को सक्षम किया। टीएमसी): बुडामेरु में आउटफॉल विनियामक | ए.पी./टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित |
| 25 | जल ग्रिड परियोजना | टी.एस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | लागू नहीं होता | परिचालित |
| 26 | कृष्णा बेसिन | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 26.1 बैराज, पश्चिमी डेल्टा डेल्टा नहरों के प्रमुख नियामक, पूर्वी डेल्टा नहरें और संबंधित संरचनाएं | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 26.2 गुंटूर चैनल: प्रमुख विनियामक | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 26.3. 26.1 और 26.2 के सिवाए अन्य शेष कार्य | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 27 | उत्कूर-मारपल्ली जलाशय परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 28 | आसिफ नेहर नहर | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 29 | वीपुनगंदला जलाशय | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 30 | हिमायत सागर पेयजल एवं बाढ़ संरक्षण परियोजना | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 31 | उस्मान सागर पेयजल और बाढ़ संरक्षण परियोजना | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 32 | शमीरपेट झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 33 | सरलसागर परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 34 | संगमबंद परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 35 | लखनापुर परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 36 | सिंगोटम झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |

टिप्पण : पूर्व-टीएसी परियोजना को अनुमोदित माना जाएगा।

*चिह्नित घटक कृष्णा बेसिन में नहीं हैं। तथापि, चूंकि ये श्रीशैलम से रैखिक रूप से परस्पर जुड़े हुए जलाशय हैं, इसलिए इन्हें सिस्टम के प्रभावी नियंत्रण, रखरखाव और निगरानी के लिए अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची - 2

जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुखवर्क्स (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा, और परियोजनाओं/घटकों की पारेषण लाइनें, जिन पर केआरएमबी का अधिकार क्षेत्र होगा

| क्र.सं. | परियोजना/घटक का नाम | राज्य | श्रेणी | प्रास्थिति | अनुमोदित/ अननुमोदित | परिचालित प्रास्थिति |
|---------|--|-------------|----------------|------------|--|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | श्रीशैलम परियोजना (अनुसूची-1 की मद 1.1 से 1.19 तक नीचे सूचीबद्ध है) | ए.पी./टीएस | | | | |
| | 1.1 श्रीशैलम प्रोजेक्ट स्पिलवे और नदी जल द्वार | ए.पी./टीएस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 1.2 श्रीशैलम राइट बैंक बिजली घर | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 1.3 श्रीशैलम बाएँ बैंक बिजली घर | टी.एस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 1.4 पोथिरेड्डीपाडु प्रमुख विनियामक और एसआरएमसी | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 1.5* बनाकेरला क्रॉस विनियामक कॉम्प्लेक्स (बीसीआर) | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 1.6 *बीसीआर से संताजुतुर एनीकट निप्पुलवागु बचाव नहर तक | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 1.7* एसआरबीसी प्रणाली ओउक जलाशय तक | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 1.8* वेलिगोडु संतुलन जलाशय (क) टीजीपी लिंक नहर (ख) स्पिलवे (ग) तेलुगु गंगा नहर के लिए मानव संसाधन संरचना (घ) उच्च स्तरीय नहर | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 1.9 *तेलुगु गंगा परियोजना: टीजीसी प्रमुख कार्य | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | आंशिक रूप से परिचालित |
| | 1.10 वेलिगोंडा परियोजना; प्रमुख नियामक, सुरंग, संबंधित कार्य और नल्लामाला सागर | ए.पी. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | परिचालित |
| | 1.11 श्रीशैलम वाम तट नहर (एसएलबीसी); सेवन, सुरंग, | टी.एस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|-------|--|--------------|
| | संबंधित संरचनाएं और नक्कलगंडी जलाशय | | | | | |
| | 1.12 श्रीशैलम बाएँ बैंक नहर (एसएलबीसी) - अतिरिक्त 10 टीएमसी: सेवन और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | परिचालित |
| | 1.13 हैंड्रिनिवा लिफ्ट सिंचाई योजना: पंप हाउस और संबंधित कार्य | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | परिचालित |
| | 1.14 कलवाकुर्ची लिफ्ट सिंचाई योजना: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | परिचालित |
| | 1.15 कलवाकुर्ची लिफ्ट सिंचाई योजना-अतिरिक्त 15 टीएमसी: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 1.16 पलामुरुंगा रेड्डी एलआईएस: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | परिचालित |
| | 1.17 मुचुमरी लिफ्ट सिंचाई योजना: पंप हाउस और संबंधित कार्य | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| | 1.18 डिंडी (नक्कलगंडी) एलआईएस | टी.एस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | परिचालित |
| | 1.19 जीएनएसएस: प्रमुख कार्य और संबंधित संरचनाएं | ए.पी. | बड़ा | सतत | अननुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | परिचालित |
| 2 | नागार्जुन सागर परियोजना (अनुसूची 1 की मद 4.1 से 4.18 नीचे सूचीबद्ध है: | ए.पी./टीएस | | | | परिचालित |
| | 4.1 नागार्जुन सागर परियोजना स्पिलवे और नदी/शूट के रास्ते | टीएस/ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.2 नागार्जुन सागर मेन बिजली घर | टी.एस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.3 नागार्जुन सागर राइट (जवाहर) नहर बिजली घर | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.4 नागार्जुन सागर राइट (जवाहर) नहर प्रमुख विनियामक | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.5 नागार्जुन सागर वाम (लाल बहादुर) नहर विद्युत गृह | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.6 नागार्जुन सागर बाएँ (लाल बहादुर) नहर प्रमुख विनियामक | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|-------|-----------|----------|
| | 4.7 पलेयर जलाशय योजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.8 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर -16 + 17 वीं शाखा नहर एनएसएलबीसी मुख्य नहर @ 154.593 किमी से निकलती है | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.9 नागार्जुन सागर बाएं (लाल बहादुर) नहर-मंगापुरम वृहत उठाव से एनएसएलबीसी मुख्य नहर @164.752 किमी | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.10 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर-बोंकल शाखा नहर उठाव 21वीं एमबीसी से @ 14.030 किमी | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.11 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर- मधीरा शाखा नहर उठाव 21वीं एमबीसी से @ 71.850 किमी | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.12 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर- मेजर से तिरुवरु उठाव 21वीं एमबीसी से @ 83.515 किमी | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.13 नागार्जुन सागर बायां (लाल बहादुर) नहर- ककरला उठाव का 21वीं एमबीसी से @ 94.699 किमी | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.14 नागार्जुनसागर बायां (लाल बहादुर) नहर- ए.पी. -टी.एस. 21वीं एमबीसी की सीमा @ 101.36 किमी | टी.एस./ ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.15 नागार्जुन सागर बाड़ फ्लो नहर: प्रमुख विनियामक और संबंधित कार्य | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.16 अलीमिनेटी माधव रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना: पंप हाउस और अन्य संबंधित कार्य | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| | 4.17 एचएमडब्ल्यूएसएस: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टीएस | WS | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.18 भक्त रामदास एलआईएस | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 3 | नागार्जुन सागर टेल पॉन्ड (अनुसूची 1 की मद 5.1 और 5.2 नीचे दी गई है) | टीएस /ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|
| | 5.1 टेल पॉन्ड, स्पिलवे, नदी जलमार्ग, संबंधित कार्य | टीएस/ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 5.2 एनएस टेल पॉन्ड बिजली घर | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 4 | तुंगभद्रा परियोजना (अनुसूची 1 की मद 6.1 और 6.2 नीचे दी गई है) | ए.पी./टीए/केए | | | | परिचालित |
| | 6.1 तुंगभद्रा दायां किनारा निम्न स्तर की नहर | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 6.2 तुंगभद्रा दायां किनारा उच्च स्तरीय नहर चरण - I और II | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 5 | रजौली बांदा व्यपवर्तन योजना (अनुसूची 1 की मद 9.1 और 9.2 नीचे दी गई है) | केए/टीए/टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 9.1 प्रमुख कार्य और संबंधित कार्य | केए/टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 9.2 सिंधनूर के पास क्रॉस विनियामक | केए/टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 9.3 थुमिला एलआईएस: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टीएस | बड़ा | सतत | अननुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित |
| 6 | केसी नहर परियोजना (अनुसूची 1 की मद 11.1 और 11.2 नीचे दी गई है) | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 11.1 सनकेसुला बैराज, प्रमुख विनियामक और अन्य संबंधित कार्य | ए.पी. | | | | |
| | 11.2 एसआरबीसी से/से नहरों को जोड़ें | ए.पी. | | | | |
| 7 | प्रियदर्शिनी जुराला परियोजना (अनुसूची 1 के मद 15.1 से 15.5 तक नीचे दी गई है) | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 15.1 स्पिलवे, नहर प्रमुख विनियामक और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 15.2 नेटटेम्पाडु एलआईएस: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित (आं.प्र.पु.अधिनियम, 2014) | परिचालित |
| | 15.3 नेटटेम्पाडु एलआईएस-अतिरिक्त 3.4 टीएमसी: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 15.4 राजीव भीम लिफ्ट योजना: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | 15.5 कोइल सागर लिफ्ट: पंप हाउस और संबंधित कार्य | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 8 | डॉ. के.एल.राव पुलीचिंतला परियोजना जलाशय | एपी/टीएस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 19.1 स्पिलवे, नदी जल द्वार , संबंधित कार्य | ए.पी./ टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 19.2 बिजली घर | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 9 | मुनियेरु परियोजना का पुनर्निर्माण (अनुसूची 1 की मद 20.1 नीचे दी गई है) | एपी/टीएस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 20.1 प्रमुख कार्य, जलाशय, स्पिलवे, नदी जल द्वार , नहर प्रमुख विनियामक और अन्य संबंधित कार्य | मध्यम | सतत | अननुमोदित | अपरिचालित | मध्यम |
| 10 | गोदावरी जल को कृष्णा बेसिन की ओर मोड़ना (अनुसूची 1 की मद 24.1 से 24.8 नीचे दिया गया है) | | | | | |
| | 24.1 कालेश्वरम परियोजना के अधीन कोंडापोचम्मा जलाशय से नहर पर शमीरपेट झील के लिए इन्फॉल विनियामक | टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित |
| | 24.2 कालेश्वरम परियोजना के अधीन मलकानगिरी/गंधमल्ला जलाशय का इन्फॉल विनियामक | टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित |
| | 24.3 जे.चोक्का राव देवदुला गोदावरी लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत डब्बा वागु को पाखल झील की ओर जाने वाला इन्फॉल विनियामक | टीएस | लागू नहीं होता | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 24.4 सीताराम एलआईएस के तहत तीसरी लिफ्ट पर पंप हाउस | टीएस | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | 24.5 एसआरएसपी चरण- II के तहत मायलावरम जलाशय में इन्फॉल विनियामक | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 24.6 वेम्पाडु (चित्तलपुडी एलआईएस के तहत) - 21वीं मुख्य शाखा (नागार्जुनसागर एलएमसी के तहत) नुज़िवुडु ब्र (21/10बी), मायलावरम ब्र (21/10ए), जमेलपुरम (21/10ए) मेजर और वेम्पाडु मेजर (21/11) के लिए लिंक। | ए.पी. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |

| | | | | | | |
|----|--|------------|----------------|-------|----------------------|-----------------------|
| | 24.7 बुडेमेरु को कृष्णा बेसिन की ओर मोड़ना | ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी अनुमोदित | परिचालित |
| | 24.8 पोलावरम आरएमसी-एनएस-एलएमसी लिंक (ब्लॉक 21/11 और 21/10बी के एनएस-एलएमसी कमांड का विस्तार | ए.पी. | बड़ा | सतत | अनुमोदित | गैर-परिचालित |
| 11 | गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक (अनुसूची -1 का आइटम 25): कृष्णा बेसिन के लिए गोदावरी जल मोड़ (जीडब्ल्यूडीटी ने कृष्णा डेल्टा के लिए नागार्जुनसागर परियोजना से डिस्चार्ज को विस्थापित करते हुए कृष्णा बेसिन की ओर मोड़ने के लिए 75% निर्भरता पर गोदावरी पानी का 80 टीएमसी आवंटित किया, इस प्रकार उक्त 80 के उपयोग को सक्षम किया। नागार्जुनसागर के प्रतिप्रवाह परियोजनाओं के लिए टीएमसी): बुडामेरु में आउटफॉल विनियामक | ए.पी./टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित |
| 12 | कृष्णा डेल्टा (अनुसूची 1 की मद 27.1 और 27.2 नीचे दी गई है) | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 27.1 बैराज, पश्चिमी डेल्टा नहरों के प्रमुख नियामक, पूर्वी डेल्टा नहरों और संबंधित संरचनाएं | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 27.2 गुंटूर चैनल: प्रमुख विनियामक | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

टिप्पण :*चिह्नित घटक कृष्णा बेसिन में नहीं हैं। तथापि, चूंकि ये श्रीशैलम से रेखिक रूप से परस्पर जुड़े हुए जलाशय हैं, इसलिए इन्हें सिस्टम के प्रभावी नियंत्रण, रखरखाव और निगरानी के लिए अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।

अनुसूची - 3

| जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुखवर्क्स (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा, और परियोजनाओं/घटकों की पारेषण लाइनें, जिन पर केआरएमबी का अधिकार क्षेत्र होगा | | | | | | |
|--|--|------------|--------|------------|------------------------|------------------------|
| क्र.सं. | परियोजना/घटक का नाम | राज्य | श्रेणी | प्रास्थिति | अनुमोदित/ अननुमोदित | परिचालित प्रास्थिति |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | श्रीशैलम परियोजना | ए.पी./टीएस | | | | |
| | अनुसूची 1 की मद 1.20 (अनुसूची 1 के 1.1 से 1.19 के सिवाए शेष कार्य) | | | | | |
| 2 | डिंडी परियोजना | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|----------------|------------|----------------------|----------|
| 3 | सिद्धपुरम एलआईएस | ए.पी. | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 4 | नागार्जुन सागर परियोजना अनुसूची 1 की मद 4.19 (अनुसूची 1 के 4.1 से 4.18 के सिवाए शेष कार्य) | ए.पी./टीएस | | | | परिचालित |
| 5 | नागार्जुन सागर टेल पोंड अनुसूची 1 की मद 5.3 (अनुसूची 1 के 5.1 से 5.2 के सिवाए शेष कार्य) | T.S/ए.पी. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 6 | तुंगभद्रा परियोजना अनुसूची 1 की मद 6.3 (अनुसूची 1 के 6.1 और 6.2 के सिवाए शेष कार्य) | ए.पी./टीए/केए | | | | |
| 7 | वेदवती (हगरी) नदी लिस् | ए.पी. | बड़ा | प्रस्तावित | Un-अनुमोदित | परिचालित |
| 8 | भैरवनिटिप्पा | ए.पी. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 9 | रजोली बांदा डायवर्जन योजना अनुसूची 1 की मद 9.4 (अनुसूची 1 के 9.1, 9.2 और 9.3 के सिवाए शेष कार्य) | टीएस | | | | |
| 10 | गुरु राघवेंद्र एलआईएस | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 11 | केसी नहर परियोजना अनुसूची 1 की मद 11.3 (अनुसूची 1 के 11.1 और 11.2 के सिवाए शेष कार्य) | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 12 | गजुलादीन | ए.पी. | | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 13 | कोटिपल्लीवागु | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 14 | प्रियदर्शिनी जुराला परियोजना अनुसूची 1 की मद 14.6 (अनुसूची 1 के 14.1 से 14.5 के सिवाए शेष कार्य) | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 15 | कोइल सागर परियोजना | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 16 | ओकाचेट्टीवागु | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 17 | मुसी परियोजना | टी.एस. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 18 | डॉ. के.एल.रावपुलीचिंतला परियोजना जलाशय अनुसूची 1 की मद 18.3 (अनुसूची-1 के 18.1 और 18.2 के अलावा शेष कार्य) | एपी/टीएस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 19 | मुनियेरु परियोजना का पुनर्निर्माण अनुसूची 1 की मद 19.2 (बाएं नहर नेटवर्क) | एपी/टीएस. | बड़ा | सतत | अननुमोदित | परिचालित |
| 20 | पाखल झील | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|---|--------|----------------|-------|----------------------|----------|
| 21 | वायरालेक | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी अनुमोदित | परिचालित |
| 22 | लंकासागरी | टी.एस. | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 23 | जल ग्रिड परियोजना | टी.एस. | लागू नहीं होता | पूर्ण | लागू नहीं होता | परिचालित |
| 24 | कृष्णा डेल्टा | ए.पी. | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 26.3 26.1 और 26.2 के सिवाए अन्य शेष कार्य | | | | | परिचालित |
| 25 | उत्कूर-मारपल्ली जलाशय परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 26 | आसिफ नेहर नहर | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 27 | वीपुनगंदला जलाशय | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 28 | हिमायत सागर पेयजल एवं बाढ़ संरक्षण परियोजना | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 29 | उस्मान सागर पेयजल और बाढ़ संरक्षण परियोजना | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 30 | शमीरपेट झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 31 | सरलसागर परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 32 | संगमबंद परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 33 | लखनापुर परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 34 | सिंगोटम झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 35 | जटपल्ली परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |

[फ़ा. सं. आर-22012/1/2021-पेन.रिव- एमओडब्लूआर]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2021

S.O. 2842 (E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 (6 of 2014) (hereafter referred to as the said Act), with effect from 2nd June, 2014, the Central Government constituted an Apex Council for the supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 85 of the said Act, the Central Government on 28th May, 2014 constituted the Krishna River Management Board (hereafter referred to as the KRMB) and the same became effective on 2nd June, 2014 to perform the functions mentioned therein for the administration, regulation, maintenance and operation of projects as may be notified by the Central Government;

And whereas, sub-section (8) of section 85 of the said Act provides that the functions of the KRMB, *inter alia*, shall include, —

(a) the regulation of supply of water from the projects to the successor States having regard to the awards granted by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 and any agreement entered into or arrangement made covering the Government of existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(b) the regulation of supply of power generated to the authority in-charge of the distribution of power having regard to any agreement entered into or arrangement made covering the Government of the existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(c) The construction of such of the remaining on-going or new works connected with the development of the water resources projects relating to the rivers or their tributaries through the successor States as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette;

(d) making an appraisal of any proposal for construction of new projects on Krishna river and giving technical clearance, after satisfying that such projects do not negatively impact the availability of water as per the awards of the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 for the projects already completed or taken up before the appointed day;

(e) Such other functions as the Central Government may entrust to it on the basis of the principles specified in the Eleventh Schedule.

And whereas sub-section (1) of Section 86 of the said Act provides that the Board shall employ such staff as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions under this Act and such staff shall, at the first instance, be appointed on deputation from the successor States in equal proportion and absorbed permanently in the Board;

And whereas sub-section (2) of Section 86 of the said Act provides that the Government of the successor States shall at all times provide the necessary funds to the Board to meet all expenses (including the salaries and allowances of the staff) required for the discharge of its functions and such amounts shall be apportioned between the States concerned in such proportion as the Central Government may, having regard to the benefits to each of the said States, specify;

And whereas, sub-section (4) of section 86 of the said Act empowers the Central Government, for the purpose of enabling the KRMB to function efficiently, to issue such directions to the State Governments concerned, or any other authority; and the State Governments, or the other authority shall comply with such directions;

And whereas, sub-section(1) of section 87 of the said Act provides that the Board shall ordinarily exercise jurisdiction on Godavari and Krishna rivers in regard to any of the projects over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines necessary to deliver water or power to the States concerned, as may be notified by the Central Government, having regard to the awards, if any, made by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956;

And whereas, section 92 of the said Act provides that the principles, guidelines, directions and orders issued by the Central Government, on and from the appointed day, i.e., on the 2nd day of June, 2014, on matters relating to coal, oil and natural gas, and power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule shall be implemented by the successor States.

And whereas, in its 2nd meeting of the Apex Council, held on 6th October, 2020, it has been decided to notify the jurisdiction of both Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the said Act, the Central Government hereby notifies that the Krishna River Management Board shall ordinarily exercise the following jurisdiction on Krishna river, namely:—

1. (a) The projects and its components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-1, Schedule-2 and Schedule-3 to this notification.

(b) To perform all the functions and to regulate the supply of water and power generated from the projects or components thereof to the successor States, as specified in Part IX and the Twelfth Schedule to the said Act—

- (i) having regard to the Awards made by the Krishna Water Disputes Tribunal;
- (ii) under any agreement entered into or arrangement made by the then existing State of Andhra Pradesh with any other State or Union territory; and
- (iii) any other agreements that may be made by the co-basin States in this regard.

Explanation.—For the purpose of this notification, it is here by clarified that,—

(i) Schedule-1 specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network of the projects or components and transmission lines over which the KRMB shall ordinarily have jurisdiction as per decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council covering all the existing and on-going projects (subject to requisite approvals) in Krishna river basin in both the States of Andhra Pradesh and Telangana.

(ii) Schedule-2 (a subset of Schedule-1) specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures) and part of canal network of the projects or components and transmission lines of both States of Andhra Pradesh and Telangana over which the Krishan River Board shall have jurisdiction and shall perform the functions as per the provisions of sub-section (1) of section 85 of the said Act, such as, administration, operation, maintenance and regulation.

(iii) Schedule-3 (a subset of Schedule-1) specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network of projects or components and transmission lines of both States of Andhra Pradesh and Telangana over which the Krishan River Board shall have jurisdiction, but functions as provided in sub-section (1) of section 85 of the said Act shall be performed by the respective States on behalf of the KRMB as per directions of the said Board.

(iv) All the aforesaid Schedules are subject to modifications by a similar notification issued in the Official Gazette from time to time.

(c) The KRMB may direct the respective State Governments for maintenance of the projects or components specified in Schedule-2, as it may deem necessary and respective State Governments shall carry out such works promptly.

(d) Mere inclusion of any unapproved project in Schedule-1, Schedule-2 or Schedule-3 to this notification does not confer the status of “deemed approval”. Any completed and ongoing unapproved projects in the Schedules shall be subject to the appraisal and approval as per the provisions of the said Act and in accordance with the decision taken in the 2nd meeting of the Apex Council.

Explanation.— Unapproved project for the purpose of this notification means any major and medium irrigation and multipurpose project which—

(i) has not been appraised by the KRMB as per clause (d) of sub-section (8) of section 85 and approved by the Apex Council in accordance with clause-(ii) of sub-section (3) of section 84 of the said Act; or

(ii) has not been accepted by the Advisory Committee on Irrigation and Multipurpose and Flood Control Projects (hereafter referred to as the TAC) of Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation after techno-economic appraisal by the Central Water Commission; or

(iii) has been approved previously by the KRMB or the Apex Council or the TAC, as the case may be, and where there is change in scope (such as, changes in size, capacity, geometry, level and location; of intake points, sluices, approach channels, regulators and canal structures, tunnels, canals and distribution network, command area to be served; changes in storage and increase in water utilization, etc.).

(e) On and from the date of commencement of this notification, the Central Industrial Security Force constituted under the Central Industrial Security Force Act, 1968 shall assist the KRMB in the day-to-day

management of projects specified in Schedule-2 and any other work related to Security as assigned by the KRMB, on such terms and conditions as the Central Government may specify.

(f) While the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall be responsible for managing natural calamities, the KRMB shall advise the two State Governments on the management of disaster or drought or flood in the river Krishna, particularly in reference to the release of water for the management and mitigation of the natural calamities. The KRMB shall have the full authority to get their orders implemented by the two successor State Governments promptly and effectively in respect of operation of the head works of the dams, reservoirs or head works of canal and work appurtenant thereto including the hydel power projects.

(g) Financial liability of any contract before the date of commencement of this notification, liability arising out of any of the present and future cases filed in the Supreme Court, High Court, any other Court or Tribunal in regard to the projects or components specified in Schedule-2 shall be the responsibility of the respective State Governments.

(h) No person from the States of Andhra Pradesh and Telangana shall be appointed as the Chairman, Member-Secretary, Members and Chief Engineers of the KRMB.

(i) The number of sanctioned posts before the date of commencement of this notification against the operational projects or components (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2 to this notification shall come under the jurisdiction of the KRMB from the date of commencement of this notification. The work-charged staff, staff working on outsourcing basis and any other agency performing any of the functions in respect of operational projects or components specified in Schedule-2 to this notification before the date of commencement of this notification shall come under the jurisdiction of the KRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 to this notification, provisions of this paragraph shall be applicable *mutatis mutandis* from the date such projects become operational.

(j) Plant, machinery, equipment and stores purchased or procured for and in connection with functions under the said Act, in regard to the operational projects or components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2, shall come under the jurisdiction of KRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 of this notification, provisions of this clause shall be applicable *mutatis mutandis* from the date such projects become operational.

(k) Office premises, equipment, furniture, vehicles, detailed project reports, records or documents maintained since the inception of the operation of the project or component, any other infrastructure pertaining to project and any other accessories incidental thereto related to functions under the said Act, in regard to the operational projects or components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2, shall come under the jurisdiction of KRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 of this notification, provisions of this clause shall be applicable *mutatis mutandis* from the date such projects become operational.

(l) Within a period of sixty days from the date of publication of this notification, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall provide one-time seed money of an amount of rupees two hundred crore each and be deposited in the KRMB bank account to enable the KRMB to discharge its functions effectively.

(m) The States of Andhra Pradesh and Telangana shall deposit the required funds for the functioning of KRMB regularly in its bank account, and in any case, within fifteen days of request received from KRMB secretariat with the approval of its Chairperson. The concerned State Government shall be fully responsible for any unwanted or unforeseen consequences in projects or components and functioning of KRMB arising out of delay in release of funds to it.

(n) The principles, guidelines, directions and orders issued by the KRMB as per the provisions of the said Act, on matters relating to power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule to the said Act shall be implemented by both the States in respect of the projects specified in Schedule-1.

(o) If any question arises as to whether the KRMB has jurisdiction under sub-section (1) of section 87 of the said Act over any project referred thereto, the same shall be referred to the Central Government for decision thereon and the decision of the Central Government shall be final.

(p) Any function or activity not mentioned under sub-section (1) of section 85 of the said Act in regard to the projects or components specified in Schedule-2 shall be the responsibility of the respective State Governments.

2. In addition to the above, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section(4) of section 86 of the said Act, hereby directs the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana to comply with the following, namely:—

(a) The KRMB shall approve and put in place an appropriate organizational structure to perform the functions mandated by this notification within thirty days from the date of publication and shall endeavor to appoint in all category of posts officers serving in the Central Government.

(b) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the States Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall completely hand over the jurisdiction of the projects or components (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines specified in Schedule-2 to this notification to the KRMB so as to enable it to perform the functions mentioned in sub-section (1) of section 85 of the said Act.

(c) Until further directions by the Central Government through a notification in the Official Gazette, in respect of the projects or components specified in Schedule-3 to this notification, respective State Governments shall continue to perform the functions such as, administration, regulation, maintenance and operation of projects as provided in sub-section (1) of section 85 of the said Act, on behalf of the KRMB.

(d) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall issue appropriate orders for transfer of all the posts and deputation of requisite staff for the projects or components specified in Schedule-2 to the KRMB.

(e) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall issue appropriate orders for transfer of items under **clauses (j) and (k) of paragraph 1** to the KRMB on as is where is basis.

(f) Both the State Governments shall stop all the ongoing works on unapproved projects as on the date of publication of this notification until the said projects are appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council. If approvals are not obtained within six months after the publication of this notification, full or partial operation if any of the said ongoing unapproved projects shall cease to operate.

(g) Within six months from the date of publication of this notification, both State Governments shall complete the unapproved projects appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council. If approvals are not obtained within the stipulated time of six months, such completed unapproved projects shall cease to operate.

3. This notification shall come into force with effect from the 14th day of October, 2021.

SCHEDULE - 1

| Headworks (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network, and transmission lines of the projects/components as per information available in the Ministry of Jal Shakti over which KRMB will ordinarily have jurisdiction | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------|----------|--------|----------------------|--------------------|
| Sl. No. | Name of the Project/Component | State | Category | Status | Approved/ Unapproved | Operational Status |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Srisaillam Project | AP/TS | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| 1.1 Srisailem Project Spillway and River Sluices | A.P/TS. | NA | Completed | Approved | Operational |
| 1.2 Srisailem Right Bank Power House | A.P. | NA | Completed | Approved | Operational |
| 1.3 Srisailem Left Bank Power House | T.S. | NA | Completed | Approved | Operational |
| 1.4 Pothireddypadu Head Regulator and SRMC | A.P. | NA | Completed | Approved | Operational |
| 1.5* Banakacherla Cross Regulator Complex (BCR) | A.P | NA | Completed | Approved | Operational |
| 1.6* Nippulavagu Escape canal from BCR to Santajatur Anicut | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| 1.7* SRBC system uptoOwk Reservoir | A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| 1.8* Veligodu Balancing Reservoir (a) TGP Link canal (b) Spillway (c) HR Structure for Telugu Ganga canal (d) High level canal | A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| 1.9* Telugu Ganga Project: TGC Head Works | A.P. | Major | Completed | Unapproved (APR Act, 2014) | Operational |
| 1.10 Veligonda Project; Head regulator, Tunnel, Appurtenant works and Nallamala Sagar | A.P. | Major | Ongoing | Unapproved | Non-Operational |
| 1.11 Srisailem Left Bank Canal (SLBC); Intake, Tunnel, Appurtenant Structuresand Nakkalagandi Reservoir | T.S. | Major | Ongoing | Unapproved | Non-Operational |
| 1.12 Srisailem Left Bank Canal (SLBC)-additional 10 TMC: Intake and appurtenant works | T.S. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| 1.13HandriNiva Lift Irrigation Scheme: Pump house and Appurtenant works | A.P. | Major | Completed | Unapproved (APRA,2014 Act) | Operational |
| 1.14 Kalwakurthy Lift Irrigation Scheme: Pump house and Appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Unapproved (APRA,2014 Act) | Operational |
| 1.15 Kalwakurthy Lift Irrigation Scheme-Additional 15 TMC: Pump house and Appurtenant works | T.S. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| 1.16 Palamuru Ranga Reddy LIS: Pump house and Appurtenant works | T.S. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| 1.17 Muchumarri Lift Irrigation Scheme: Pump house and Appurtenant works | A.P. | Major | Completed | Un-approved | Operational |
| 1.18 Dindi (Nakkalagandi) LIS | T.S. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| 1.19 GNSS: Head Works and Appurtenant Structures | AP | Major | Ongoing | Unapproved (APRA,2014 Act) | Partially Operational |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| | 1.20 Balance Works other than 1.1 to 1.19 | | | | | |
| 2 | Dindi Project | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 3 | Siddapuram LIS | A.P. | Medium | Completed | Un-approved | Operational |
| 4 | Nagarjuna Sagar Project | AP/TS | | | | |
| | 4.1 Nagarjuna Sagar Project Spillway and River /Chute Sluices | T.S/AP | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 4.2 Nagarjuna Sagar Main Power House | T.S. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 4.3 Nagarjuna Sagar Right(Jawahar) Canal Power House | A.P. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 4.4 Nagarjuna Sagar Right(Jawahar) Canal Head Regulator | A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.5 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal Power House | T.S | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 4.6 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal Head Regulator | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.7 Palair Reservoir Scheme | T.S | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.8 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –16+17th Branch Canal offtakes from NSLBC Main Canal @Km154.593 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.9 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –Mangapuram Major offtakes from NSLBC Main Canal @KM164.752 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.10 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –Bonakal Branch Canal offtakes from 21st MBC @Km14.030 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.11 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –Madhira Branch Canal offtakes from 21st MBC @Km71.850 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.12 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –Major to Tiruvuru offtakes from 21st MBC @Km 83.515 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.13 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –Major to Kakarla offtakes from 21st MBC @Km94.699 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.14 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –A.P. –T.S. Border @Km 101.36 of 21 st MBC | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.15 Nagarjuna Sagar Flood flow canal:Head regulator and Appurtenant works | T.S | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.16 Alimineti Madhava Reddy Lift Irrigation Scheme: Pump House and other appurtenant works | T.S | Major | Completed | Un Approved | Operational |

| | | | | | | |
|----|--|------------|--------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| | 4.17 HMWSS: Pump House and Appurtenant Works | TS | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 4.18 Bhakta Ramadas LIS: Pump House and Appurtenant Works | T.S. | Major | Completed | Un-approved | Operational |
| | 4.19 Balance works other than 4.1 to 4.18 above | | | | | |
| 5 | Nagarjuna Sagar Tail Pond | T.S/AP | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 5.1 Tail Pond, Spillway, River Sluices, Appurtenant Works | T.S/AP | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 5.2 NS Tail Pond Power House | AP | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 5.2 Balance Works Other than 5.1 and 5.2 | | | | | |
| 6 | Tungabhadra Project | AP/TS/KA | | | | |
| | 6.1 Tungabhadra Right Bank Low level canal | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 6.2 Tungabhadra Right Bank High level canal stage - I and II | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 6.3 Balance Works Other than 6.1 and 6.2 | | | | | |
| 7 | Jutpally Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 8 | Bhairavanitippa | A.P. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 9 | Rajoli Banda Diversion Scheme | KA/A.P/T.S | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 9.1 Head Works and Appurtenant Works | KA/A.P | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 9.2 Cross Regulator near Sindanur | KA/TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 9.3 Thumilla LIS: Pump House and appurtenant works | TS | Major | Ongoing | Un-approved | Partially Operational |
| | 9.4 Balance Works other than 9.1, 9.2 and 9.3 | | | | | |
| 10 | Guru Raghavendra LIS | A.P. | Major | Completed | Un-approved | Operational |
| 11 | KC Canal Project | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 11.1 Sunkesula Barrage, Head Regulator and other appurtenant works | AP | | | | |
| | 11.2 Link Canals from/to SRBC | AP | | | | |
| | 11.3 Balance Works other than 11.1 and 11.2 | | | | | |
| 12 | Gajuladinne | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| 13 | Kotipallivagu | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 14 | Priyadarshini Jurala Project | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 14.1 Spillway, Canal Head Regulators and appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 14.2 Nettempadu LIS: Pump House and appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Unapproved (APR Act, 2014) | Operational |

| | | | | | | |
|----|--|---------|--------|-----------|------------------|-----------------------|
| | 14.3 Nettempadu LIS-Additional 3.4 TMC: Pump House and appurtenant works | T.S. | Major | Ongoing | Unapproved | Non-Operational |
| | 14.4 Rajiv Bhima Lift Scheme: Pump House and appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 14.5 Koil Sagar Lift: Pump House and appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 14.6 Balance Works other than 14.1 to 14.5 | | | | | |
| 15 | Koil Sagar Project | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 16 | Okachettivagu | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 17 | Musi Project | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| 18 | Dr. K.L.RaoPulichintala Project Reservoir | A.P/TS. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 18.1 Spillway, River Sluice, appurtenant works | AP/T.S | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 18.2 Power House | T.S | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 18.3 Balance Works other than 18.1 and 18.2 | | | | | |
| 19 | Reconstruction of Muniyeru Project | A.P/TS. | Medium | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| | 19.1 Headworks, Reservoir, Spillway, River Sluice, Canal Head Regulators and other appurtenant works | A.P/TS | Medium | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| | 19.2 Left Canal Network | A.P | Medium | Completed | Pre-TAC Approved | Operational |
| 20 | Pakhal Lake | T.S. | Medium | Completed | Pre-TAC Approved | Operational |
| 21 | WyraLake | T.S. | Medium | Completed | Pre-TAC Approved | Operational |
| 22 | Lankasagar | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 23 | Godavari Water diversion to Krishna Basin | | | | | |
| | 23.1 Infall Regulator to Shamirpet Lake on Canal from Kondapochamma Reservoir under KaleshwaramProject | T.S | Major | Ongoing | approved | Partially operational |
| | 23.2 Infall Regulator to Malkangiri/Gandhamalla reservoir under Kaleshwaram Project | T.S | Major | Ongoing | approved | Partially operational |
| | 23.3 Infall Regulator to Dabba Vagu leading to Pakhal Lake under J.Chokka Rao Devadula Godavari Lift Irrigation scheme | T.S | NA | Ongoing | Un-approved | Non-operational |
| | 23.4 Pump house at 3 rd Lift under Sitarama LIS | TS | Major | Ongoing | Un-approved | Non-operational |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-----------|-----------------|-----------------------|
| | 23.5 Infall Regulator at Mylavaram Reservoir under SRSP Stage- II | T.S | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 23.6 Vempadu (under Chintalpudi LIS)- 21 st Main Branch (Under Nagarjunasagar LMC) Link for Nuzivudu Br(21/10B), Mylavaram Br(21/10A), Jamelapuram(21/10A) Major and VempaduMajor(21/11). | AP | Major | Ongoing | Unapproved | Non-operational |
| | 23.7 Budameru diversion to Krishna Basin | AP | NA | Completed | Pre-TACApproved | Operational |
| | 23.8 Polavaram RMC- NS-LMC link (Augmentation of NS-LMC command of Blocks 21/11 and 21/10B) | AP | Major | Ongoing | Approved | Non-operational |
| 24 | Godavari(Polavaram)– Krishna(Vijayawada)Link: Godavari Water diversion to Krishna Basin (GWDT allocated 80 TMC of Godavari water at 75% dependability to divert to Krishna Basin displacing the discharges from Nagarjunasagar Project for Krishna Delta, thus enabling the use of the said 80 TMC for projects upstream of Nagarjunasagar): Outfall Regulator at Budameru | AP/TS | Major | Ongoing | Approved | Partially Operational |
| 25 | Water Grid Project | T.S. | NA | Completed | NA | Operational |
| 26 | Krishna Delta | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 26.1 Barrage, Head regulators of Western Delta Delta Canals, Eastern Delta Canals and appurtenant Structures | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 26.2 Guntur Channel: Head Regulator | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 26.3 Balance Works other than 26.1 and 26.2 | A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| 27 | Utkoor-Marpally Reservoir Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 28 | Asif Nehar Canals | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 29 | Veepunagandla Reservoir | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 30 | Himayat Sagar Drinking Water and Flood Protection Project | TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 31 | Osman Sagar Drinking Water and Flood Protection Project | TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 32 | Shamirpet Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 33 | Saralasangar Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 34 | Sangambanda Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 35 | Lakhnapur Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 36 | Singotam Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |

Note : Pre-TAC project shall be deemed to have been approved.

*marked components are not in Krishna basin. However, since these are linearly inter-connected reservoirs from Srisaillam, so they are included in the schedule for effective control, maintenance and monitoring of the system.

SCHEDULE – 2

Headworks (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network, and transmission lines of the projects/components as per information available in Ministry of Jal Shakti over which KRMB will have jurisdiction

| Sl. No. | Name of the Project/Component | State | Category | Status | Approved/UnApproved | Operational Status |
|---------|--|---------|----------|-----------|----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Srisaïlam Project (items 1.1 to 1.19 of schedule-1 as listed below) | AP/TS | | | | |
| | 1.1 Srisaïlam Project Spillway and River Sluices | A.P/TS. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 1.2 Srisaïlam Right Bank Power House | A.P. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 1.3 Srisaïlam Left Bank Power House | T.S. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 1.4 Pothireddypadu Head Regulator and SRMC | A.P. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 1.5* Banakacherla Cross Regulator Complex (BCR) | A.P | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 1.6 *Nippulavagu Escape canal from BCR to Santajatur Anicut | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 1.7* SRBC system uptoOwkReservoir | A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 1.8* Veligodu Balancing Reservoir (a) TGP Link canal (b) Spillway (c) HR Structure for Telugu Ganga canal (d) High level canal | A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 1.9 * Telugu Ganga Project: TGC Head Works | A.P. | Major | Completed | Unapproved (APR Act, 2014) | Operational |
| | 1.10 Veligonda Project; Head regulator, Tunnel, Appurtenant works and Nallamala Sagar | A.P. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| | 1.11 Srisaïlam Left Bank Canal (SLBC); Intake, Tunnel, Appurtenant Structures and Nakkalagandi Reservoir | T.S. | Major | Ongoing | Unapproved | Non-Operational |
| | 1.12 Srisaïlam Left Bank Canal (SLBC)-additional 10 TMC: Intake and appurtenant works | T.S. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| | 1.13 HandriNiva Lift Irrigation Scheme: Pump house and Appurtenant works | A.P. | Major | Completed | Unapproved (APRA,2014 Act) | Operational |
| | 1.14 Kalwakurthy Lift Irrigation Scheme: Pump house and Appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Unapproved (APRA,2014 Act) | Operational |
| | 1.15 Kalwakurthy Lift Irrigation Scheme-Additional 15 TMC: Pump house and Appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Un-approved | Non-Operational |

| | | | | | | |
|---|---|----------|-------|-----------|----------------------------|---------------------|
| | 1.16 PalamuruRanga Reddy LIS: Pump house and Appurtenant works | T.S. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| | 1.17 Muchumarri Lift Irrigation Scheme: Pump house and Appurtenant works | A.P. | Major | Completed | Un-approved | Operational |
| | 1.18 Dindi (Nakkalagandi) LIS | T.S. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| | 1.19 GNSS: Head Works and Appurtenant Structures | AP | Major | Ongoing | Unapproved (APRA,2014 Act) | Partial Operational |
| 2 | Nagarjuna Sagar Project (Items) 4.1 to 4.18 of Schedule 1 as listed below: | AP/TS | | | | |
| | 4.1 Nagarjuna Sagar Project SpillwayandRiver /Chute Sluices | T.S/AP | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 4.2 Nagarjuna Sagar Main Power House | T.S. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 4.3 Nagarjuna Sagar Right(Jawahar) Canal Power House | A.P. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 4.4 Nagarjuna Sagar Right(Jawahar) Canal Head Regulator | A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.5 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal Power House | T.S | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 4.6 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal Head Regulator | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.7 Palair Reservoir Scheme | T.S | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.8 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal–16+17th Branch Canal offtakes from NSLBC Main Canal @Km154.593 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.9 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –Mangapuram Major offtakes from NSLBC Main Canal @KM164.752 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.10 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –Bonakal Branch Canal offtakes from 21st MBC @Km14.030 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.11 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur)Canal –Madhira Branch Canal offtakes from 21st MBC @Km71.850 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.12 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –Major to Tiruvuru offtakes from 21st MBC @Km 83.515 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.13 Nagarjuna Sagar Left (Lal Bahadur) Canal –Major to Kakarla offtakes from 21st MBC @Km94.699 | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.14 NagarjunaSagar Left (Lal Bahadur) Canal –A.P. –T.S. Border @Km 101.36 of 21 st MBC | T.S./A.P | Major | Completed | Approved | Operational |

| | | | | | | |
|---|---|------------|-------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| | 4.15 Nagarjuna Sagar Flood flow canal: Head regulator and Appurtenant works | T.S | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.16 Alimineti Madhava Reddy Lift Irrigation Scheme: Pump House and other appurtenant works | T.S | Major | Completed | Un-Approved | Operational |
| | 4.17 HMWSS: Pump House and Appurtenant Works | TS | WS | Completed | Approved | Operational |
| | 4.18 Bhakta Ramadas LIS | T.S. | Major | Completed | Un-approved | Operational |
| 3 | Nagarjuna Sagar Tail Pond (Items 5.1 and 5.2 of Schedule 1 as below) | T.S/AP | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 5.1 Tail Pond, Spillway, River Sluices, Appurtenant Works | T.S/AP | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 5.2 NS Tail Pond Power House | AP | NA | Completed | Approved | Operational |
| 4 | Tungabhadra Project (Items 6.1 and 6.2 of Schedule 1 as below) | AP/TA/KA | | | | |
| | 6.1 Tungabhadra Right Bank Low level canal | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 6.2 Tungabhadra Right Bank High level canal stage - I and II | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| 5 | Rajoli Banda Diversion Scheme (Items 9.1 and 9.2 of Schedule 1 as below) | KA/A.P/T.S | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 9.1 Head Works and Appurtenant Works | KA/T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 9.2 Cross Regulator near Sindanur | KA/TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 9.3 Thumilla LIS: Pump House and appurtenant works | TS | Major | Ongoing | Un-approved | Partially Operational |
| 6 | KC Canal Project (Items 11.1 and 11.2 of Schedule 1 as below) | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 11.1 Sunkesula Barrage, Head Regulator and other appurtenant works | AP | | | | |
| | 11.2 Link Canals from/to SRBC | AP | | | | |
| 7 | Priyadarshini Jurala Project (Items 15.1 to 15.5 of Schedule 1 as below) | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 15.1 Spillway, Canal Head Regulators and appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 15.2 Nettempadu LIS: Pump House and appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Unapproved (APR Act, 2014) | Operational |
| | 15.3 Nettempadu LIS-Additional 3.4 TMC: Pump House and appurtenant works | T.S. | Major | Ongoing | Unapproved | Non-Operational |
| | 15.4 Rajiv Bhima Lift Scheme: Pump House and appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 15.5 Koil Sagar Lift: Pump House and appurtenant works | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| 8 | Dr. K.L.RaoPulichintala Project Reservoir | A.P/TS. | NA | Completed | Approved | Operational |

| | | | | | | |
|----|--|---------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
| | 19.1 Spillway, River Sluice, appurtenant works | AP/T.S | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 19.2 Power House | T.S | NA | Completed | Approved | Operational |
| 9 | Reconstruction of Muniyeru Project (Items 20.1 of Schedule 1 as below) | A.P/TS. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| | 20.1 Head Works, Reservoir, Spillway, River Sluice, Canal Head Regulators and other appurtenant works | Medium | Ongoing | Un-approved | Non-Operational | Medium |
| 10 | Godavari Water diversion to Krishna Basin (Items 24.1 to 24.8 of Schedule 1 as below) | | | | | |
| | 24.1 Infall Regulator to Shamirpet Lake on Canal from Kondapochamma Reservoir under Kaleshwaram Project | T.S | Major | Ongoing | approved | Partially-operational |
| | 24.2 Infall Regulator to Malkangiri/Gandhamalla reservoir under Kaleshwaram Project | T.S | Major | Ongoing | approved | Partially-operational |
| | 24.3 Infall Regulator to Dabba Vagu leading to Pakhal Lake under J.Chokka Rao Devadula Godavari Lift Irrigation scheme | T.S | NA | Ongoing | Un-approved | Non-operational |
| | 24.4 Pump house at 3 rd Lift under Sitarama LIS | TS | Major | Ongoing | Un-approved | Non-operational |
| | 24.5 In fall Regulator at Mylavaram Reservoir under SRSP Stage- II | T.S | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 24.6 Vempadu (under Chintalpudi LIS)- 21 st Main Branch (Under Nagarjunasagar LMC) Link for Nuzivudu Br(21/10B), Mylavaram Br(21/10A), Jamelapuram(21/10A) Major and VempaduMajor(21/11). | AP | Major | Ongoing | Unapproved | Non-operational |
| | 24.7 Budameru diversion to Krishna Basin | AP | NA | Completed | Pre-TACApproved | Operational |
| | 24.8 Polavaram RMC- NS-LMC link (Augmentation of NS-LMC command of Blocks 21/11 and 21/10B) | AP | Major | Ongoing | Approved | Non-operational |
| 11 | Godavari (Polavaram)-Krishna (Vijayawada)Link (Item 25 of Schedule-1): Godavari Water diversion to Krishna Basin (GWDT allocated 80 TMC of Godavari water at 75% dependability to divert to Krishna Basin displacing the discharges from Nagarjunasagar Project for Krishna Delta, thus enabling the use of the said 80 TMC for projects upstream of Nagarjunasagar): Outfall Regulator at Budameru | AP/TS | Major | Ongoing | Approved | Partially Operational |
| 12 | Krishna Delta (Items 27.1 and 27.2 of Schedule 1 as below) | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |

| | | | | | |
|--|------|-------|-----------|----------|-------------|
| 27.1 Barrage, Head regulators of Western Delta Canals, Eastern Delta Canals and appurtenant Structures | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| 27.2 Guntur Channel: Head Regulator | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |

Note: *marked components are not in Krishna basin. However, since these are linearly inter-connected reservoirs from Srisailam, so they are included in the schedule for effective control, maintenance and monitoring of the system.

SCHEDULE - 3

| Headworks (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines of the projects/components as per information available in Ministry of Jal Shakti over which KRMB will ordinarily have jurisdiction | | | | | | |
|---|---|----------|----------|------------------|----------------------|--------------------|
| Sl. No. | Name of the Project/Component | State | Category | Execution Status | Approved/ UnApproved | Operational Status |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Srisailam Project | AP/TS | | | | |
| | Item 1.20 of Schedule 1 (Balance Works other than 1.1 to 1.19 of Schedule 1) | | | | | |
| 2 | Dindi Project | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 3 | Siddapuram LIS | A.P. | Medium | Completed | Un-approved | Operational |
| 4 | Nagarjuna Sagar Project Items 4.19 of Schedule 1 (Balance works other than 4.1 to 4.18 of Schedule 1) | AP/TS | | | | |
| 5 | Nagarjuna Sagar Tail Pond Items 5.3 of Schedule 1 (Balance works other than 5.1 to 5.2 of Schedule 1) | T.S/AP | NA | Completed | Approved | Operational |
| 6 | Tungabhadra Project Item 6.3 of Schedule 1 (Balance Works Other than 6.1 and 6.2 of Schedule 1) | AP/TA/KA | | | | |
| 7 | Vedavathi (Hagari) River LIS | A.P. | Major | Proposed | Un-approved | Operational |
| 8 | Bhairavanitippa | A.P. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 9 | Rajoli Banda Diversion Scheme Item 9.4 of Schedule 1 (Balance Works other than 9.1, 9.2 and 9.3 of Schedule 1) | TS | | | | |
| 10 | Guru Raghavendra LIS | A.P. | Major | Completed | Un-approved | Operational |
| 11 | KC Canal Project | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | Item 11.3 of Schedule 1 (Balance Works other than 11.1 and 11.2 of Schedule 1) | | | | | |
| 12 | Gajuladinne | A.P. | | Completed | Approved | |
| 13 | Kotipallivagu | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 14 | Priyadarshini Jurala Project | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | Item 14.6 of Schedule 1 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| | (Balance Works other than 14.1 to 14.5 of Schedule 1) | | | | | |
| 15 | Koil Sagar Project | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 16 | Okachettivagu | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 17 | Musi Project | T.S. | Major | Completed | Approved | Operational |
| 18 | Dr. K. L.RaoPulichintala ProjectReservoir | A.P/TS. | NA | Completed | Approved | Operational |
| | Item 18.3of Schedule 1 (Balance works other than 18.1 and18.2 of Schedule- 1) | T.S | NA | Completed | Approved | Operational |
| 19 | Reconstruction of Muniyeru Project | A.P/TS. | Major | Ongoing | Un-approved | Non-Operational |
| | Item 19.2 of Schedule 1 (Left Canal Network) | | | | | |
| 20 | Pakhal Lake | T.S. | Medium | Completed | Pre-TAC Approved | Operational |
| 21 | Wyra Lake | T.S. | Medium | Completed | Pre-TAC Approved | Operational |
| 22 | Lankasagar | T.S. | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 23 | Water Grid Project | T.S. | NA | Completed | NA | Operational |
| 24 | Krishna Delta | A.P. | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 26.3 Balance Works other than 26.1 and 26.2 | | | | | Operational |
| 25 | Uttoor-Marpally Reservoir Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 26 | Asif Nehar Canals | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 27 | Veepunagandla Reservoir | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 28 | Himayat Sagar Drinking Water and Flood Protection Project | TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 29 | Osman Sagar Drinking Water and Flood Protection Project | TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 30 | Shamirpet Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 31 | Saralasar Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 32 | Sangambanda Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 33 | Lakhnapur Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 34 | Singotam Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 35 | Jutpally Project | TS | Medium | Completed | Unapproved | Operational |

[F. No. R-22012/1/2021-Pen.Riv-MOWR]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

का.आ. 2843(अ).—केन्द्रीय सरकार 2 जून, 2014 से प्रभावी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए एक शीर्ष परिषद् का गठन करती है;

और उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने 28 मई, 2014 को गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात जीआरएमबी कहा गया है) का गठन किया और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रख-रखाव और प्रचालन के लिए इसमें उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करने हेतु यह 2 जून, 2014 से प्रभावी हो गया;

और उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (8) उपबंध करती है कि जीआरएमबी के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे,-

(क) अंतर-राज्यीक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा किए गए अधिनिर्णयों और विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी करार या व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं से उत्तरवर्ती राज्यों को जल प्रदाय का विनियमन;

(ख) विद्यमान आंध्र प्रदेश और किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी करार अथवा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्युत का वितरण करने के लिए साधक प्राधिकारी को उत्पादित विद्युत का प्रदाय किए जाने का विनियमन;

(ग) उत्तरवर्ती राज्यों के माध्यम से नदियों या उनकी सहायक नदियों से संबंधित जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित ऐसे शेष चल रहे या नए संकर्मों का निर्माण, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(घ) गोदावरी नदी पर नई परियोजनाओं के निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव का आकलन तथा यह समाधान करने के पश्चात कि ऐसी परियोजनाओं से अंतर-राज्यीक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन नियत दिन से पूर्व पहले से पूरी हो गई या आरम्भ की गई परियोजनाओं के लिए गठित प्राधिकरणों के अधिनिर्णयों के अनुसार जल की उपलब्धता पर नाकारत्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तकनीकी मंजूरी प्रदान करना;

(ङ) ऐसे अन्य कार्य, जिन्हें केंद्र सरकार ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर उसे सौंपे।

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) उपबंध करती है कि बोर्ड उतने कर्मचारी नियोजित करेगा जितने वह इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझें और ऐसे कर्मचारियों को, प्रथमतः उत्तरवर्ती राज्यों से समान अनुपात में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड में स्थाई रूप से आमेलित किया जाएगा।

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (2) उपबंध करती है कि उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारें सभी समयों पर बोर्ड को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सभी व्ययों (जिसमें कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों शामिल हैं) को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएंगी और ऐसी रकमों को संबंधित राज्यों में ऐसे अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जैसे केंद्र सरकार उक्त राज्यों में से प्रत्येक के फायदे को देखते हुए विनिर्दिष्ट करें;

और उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (4) केन्द्रीय सरकार को जीआरएमबी को कुशलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, संबंधित राज्य सरकारों या किसी अन्य प्राधिकरण को ऐसे निर्देशों देने के लिए सशक्त करती है जो ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे;

और उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) उपबंध करती है कि बोर्ड साधारणतया संबंधित राज्यों को जल या विद्युत प्रदाय करने के लिए आवश्यक ऊपरी कार्य (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) नहर नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों पर गोदावरी तथा गोदावरी नदियों पर उन परियोजनाओं में से किसी के संबंध में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेगा जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतर-राज्यीक जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित प्राधिकरणों द्वारा किए गए निर्णयों यदि कोई हों, के अनुसार अधिसूचित की जाए;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 92 उपबंध करती है कि कोयला, आयल तथा प्राकृतिक गैस और विद्युत सृजन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों पर जैसा बाहरी अनुसूची में दिया गया है, नियत दिवस अर्थात् 2 जून, 2014 पर और से, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सिद्धान्त, दिशा-निर्देश, निर्देश आदेश उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

और 6 अक्टूबर, 2020 को आयोजित शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड दोनों की अधिकारिता अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड साधारणतया गोदावरी नदी पर निम्नलिखित अधिकारिता का प्रयोग करेगा, अर्थात्-

1. (क) इस अधिसूचना की अनुसूची-1 अनुसूची-2 और अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट जल शीर्षतंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों से संबंधित परियोजनाएं तथा इसके सहायक कार्य।

(ख) उत्तरवर्ती राज्यों को परियोजनाओं तथा इसके सहायक कार्यों से सृजित जल तथा विद्युत प्रदाय से संबंधित सभी कार्य करना तथा विनियमन करना, जैसा कि उक्त अधिनियम भाग 9 और बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया है-

(i) गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण (बचवट ट्रिब्यूनल) द्वारा दिए गए अधिनियमों को ध्यान में रखकर,

(ii) तत्कालीन मौजूद आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ किए गए किसी समझौते या व्यवस्था के अधीन; और

(iii) अन्य कोई व्यवस्था जो इस संबंध में सह-बेसिन राज्यों द्वारा दी जाए।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,-

- i. अनुसूची-1 जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना), परियोजनाओं अथवा घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिर्दिष्ट करती है जिस पर शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों में गोदावरी नदी बेसिन में सभी मौजूदा तथा चल रही परियोजनाओं (अपेक्षित अनुमोदन के अध्यक्षीन) को शामिल करते हुए लिए गए निर्णयों के अनुसार जीआरएमबी की साधारणतया अधिकारिता होगी।
- ii. अनुसूची-2 (अनुसूची-1 का एक सबसेट) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) तथा परियोजनाओं या घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परीक्षण लाइनें विनिर्दिष्ट करती है जिस पर गोदावरी नदी बोर्ड की अधिकारिता होगी और उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कार्य निष्पादन करेगा, जैसे कि प्रशासन, प्रचालन, रख-रखाव तथा विनियमन।
- iii. अनुसूची-3 (अनुसूची-1 का एक सबसेट) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के जल शीर्ष तंत्र (बराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) तथा परियोजनाओं या घटकों के नहर नेटवर्क के भाग तथा परिक्षण लाइनें विनिर्दिष्ट करती है जिस पर गोदावरी नदी बोर्ड की अधिकारिता होगी, लेकिन कार्य उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित कार्य के निदेशों के अनुसार जीआरएमबी की ओर से संबंधित द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।
- iv. उपर्युक्त सभी अनुसूचियां समय-समय पर राष्ट्रीय राजपत्र में जारी की गईं, इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा संशोधनों के अध्यक्षीन हैं।

(ग) जीआरएमबी अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निदेश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे, और संबंधित राज्य सरकारें तत्काल ऐसे कार्य करेगी।

(घ) इस अधिसूचना की अनुसूची-1, अनुसूची-2 या अनुसूची-3 में किसी अननुमोदित परियोजना के केवल शामिल होने मात्र से "अनुमोदित समझी गई हैं" की स्थिति प्रदान नहीं होती। अनुसूचियों में कोई पूरी की गई तथा चल रही अननुमोदित परियोजनाएं उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कथित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन तथा अनुमोदन के अध्यक्षीन होंगी। गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण निर्णय के उपाबंध-जी के खंड-3 के उपखंड (क), (ख) और (ग) के उपबंधों के अध्यक्षीन, जी-10 उप-बेसिन में अननुमोदित न की गई परियोजनाओं से पानी का विनियमन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पोलावरम सिंचाई परियोजना के आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रचालनीय होने तक, केन्द्रीय जल आयोग की पोलावरम जी तथा डी स्थलों पर अनुमानित या पाया गया फ्लो, गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण निर्णय के उपाबंध-जी को खंड-3 की उपर्युक्त उपखंडों में उल्लिखित पोलावरम जलाशय में इनफ्लों समझा जाएगा और पोलावरम सिंचाई परियोजना के आंशिक या पूर्णतः प्रचालनीय होने के बाद, इसे तदनुसार विनियमित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अनुमोदित न की गई परियोजना से किसी प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना अभिप्रेत है जो

- (i) धारा 85 की उप-धारा (8) के खंड (घ) के अनुसार जीआरएमबी द्वारा आकलित और उक्त अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (3) के खंड (ii) के अनुसार शीर्ष परिषद द्वारा अनुमोदित न की गई हो; या
- (ii) केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सिंचाई तथा बहुउद्देशीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर सलाहकार समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात टीएसी कहा गया है) द्वारा अनुमोदित न की गई हो; या
- (iii) यथास्थिति जीआरएमबी या शीर्ष परिषद अथवा टीएसी द्वारा पहले अनुमोदित गई, और जहां कार्य क्षेत्र में परिवर्तन है (जैसे आकार, क्षमता, ज्यामिति, स्तर तथा स्थान में परिवर्तन; इनटेक बिंदुओं, जलद्वारों, एप्रोच चैनलों, रेग्युलेटरों तथा नहर संरचनाओं, सुरंगों, नहरों तथा वितरण नेटवर्कों, सेवा दिए जाने वाले कमान क्षेत्र में परिवर्तन, भंडारण में परिवर्तन तथा जल उपयोगिता में वृद्धि आदि)।

(ड) इस अधिसूचना के प्रारम्भ की तारीख से ही, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अधीन गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऐसी निबंधनों और शर्तों पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के दैनिक प्रबंधन में और जीआरएमबी द्वारा सौंपे गए सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों में जीआरएमबी की सहायता करेगा।

(च) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी, जीआरएमबी दोनों राज्य सरकारों को आपदा या सूखा अथवा गोदावरी नदी में बाढ़ के प्रबंधन के संबंध में विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन तथा न्यूनतम करने के लिए पानी छोड़ने के संदर्भ में सलाह देगा। जीआरएमबी को बांधों, जलाशयों के जल शीर्ष तंत्र या नहरों तथा हाइड्रल विद्युत परियोजनाओं सहित इसके संबद्ध कार्यों के जल शीर्ष तंत्रों के प्रचालन के संबंध में उत्तरवर्ती राज्य सरकारों द्वारा अपने आदेशों को तत्काल तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करवाने का पूर्ण प्राधिकार होगा।

(छ) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में, इस अधिसूचना के आरम्भ की तारीख से पहले किसी ठेके की वित्तीय देयता, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य किसी न्यायालय या अधिकरण में फाईल किसी वर्तमान और भविष्य के मामलों से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा।

(ज) आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों से किसी भी व्यक्ति को जीआरएमबी का अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, सदस्य और मुख्य अभियंता नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(झ) इस अधिसूचना के आरंभ की तारीख से पहले इस अधिसूचना की अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक अवसंरचना) नहर नेटवर्क के भाग और पारेषण लाइनों के लिए अनुमोदित पदों की संख्या, इस अधिसूचना के आरंभ की तारीख से जीआरएमबी की अधिकारिता के अधीन आएगी। इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से पहले अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों के संबंध में कोई भी कार्य कर रहा वर्क-चार्जड कर्मचारीवृन्द, आउटसोर्सिंग आधार पर कार्यरत कर्मचारीवृन्द और अन्य कोई अभिकरण, इस अधिसूचना के आरम्भ होने की तारीख से जीआरएमबी की अधिकारिता के अधीन आएगी।

(ञ) उक्त अधिनियम के अधीन कार्यों के लिए या के संबंध में क्रय किए गए या प्राप्त किए गए संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिर्दिष्ट गैर परिचालन के लिए इस पैरा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। परिचालन परियोजनाओं या घटकों के संबंध में जल शीर्ष तंत्र बैराज, बांध, जलाशय, विनियमन ढांचे), अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिर्दिष्ट गैर परिचालन के लिए इस पैरा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। नहर नेटवर्क का हिस्सा और पारेषण लाइनें, इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से जीआरएमबी की अधिकारिता में आएंगी। इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के अधीन विनिर्दिष्ट गैर-परिचालन परियोजनाओं के लिए, इस खंड के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से लागू होंगे।

(ट) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परिचालन परियोजनाओं या घटकों के जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक ढांचे), नहर नेटवर्क के हिस्से और पारेषण लाइनों के संबंध में, उक्त अधिनियम के अधीन कार्यालय परिसर, उपस्कर, फर्नीचर, यान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना या घटक के संचालन के प्रारंभ से अभिलेख या दस्तावेज, परियोजना से संबंधित कोई अन्य बुनियादी ढांचा और उसके आनुषंगिक कार्यों के संबंध में कोई अन्य सहायक उपकरण, इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से जीआरएमबी की अधिकारिता में आएंगे। इस अधिसूचना की अनुसूची-2 के

अधीन विनिर्दिष्ट गैर-परिचालन परियोजनाओं के लिए, इस खंड के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसी परियोजनाओं के परिचालन की तारीख से लागू होंगे।

(ठ) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें प्रत्येक दो सौ करोड़ रुपए की एकमुश्त प्रारंभिक रकम प्रदान करेंगी और इसे जीआरएमबी बैंक खाते में जमा किया जाएगा जो जीआरएमबी को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाएगा।

(ड) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जीआरएमबी के कृत्यों के लिए अपेक्षित निधियां नियमित रूप से और किसी भी मामले में, अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ जीआरएमबी सचिवालय से प्राप्त अनुरोध के पंद्रह दिनों के भीतर उसके बैंक खाते में जमा करेंगे। संबंधित राज्य सरकार, परियोजनाओं या घटकों और जीआरएमबी के कृत्यों में किसी भी अवांछित या अप्रत्याशित परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, जो ऐसी निधियों को विलंब से जारी करने के कारण उत्पन्न हो।

(ढ) उक्त अधिनियम की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जीआरएमबी द्वारा जारी किए गए सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, निर्देशों और आदेशों को, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के संबंध में दोनों राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा।

(ण) यदि कोई प्रश्न उठता है कि उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के तहत उसके अधीन संदर्भित किसी परियोजना पर जीआरएमबी को अधिकारिता है अथवा नहीं, तो ऐसे मामले को उस पर विनिश्चय के लिए केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(त) अनुसूची-2 में केन्द्रीय विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन कोई भी कृत्य या क्रियाकलाप जो उल्लिखित नहीं है, संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों को निम्नलिखित के अनुपालन का निदेश देती है, अर्थातः--

(क) जीआरएमबी इस अधिसूचना द्वारा आज्ञापक कृत्यों का पालन करने के लिए प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर एक समुचित संगठनात्मक संरचना का अनुमोदन और स्थापित करेगा और केंद्रीय सरकार में सेवारत सभी श्रेणियों के पदों के अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रयास करेगा।

(ख) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित होती है, अधिसूचना की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक ढांचे), नहर नेटवर्क का हिस्सा पारेषणलाइनों की अधिकारिता जीआरएमबी को पूरी तरह से सौंप देंगी ताकि उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) में उल्लिखित कृत्यों का पालन करने में सक्षम बनाया जा सके।

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना की अनुसूची-3 में निर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अगले निदेशों तक, संबंधित राज्य सरकारें परियोजनाओं का प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन जीआरएमबी की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) में यथा उपबंधित है।

(घ) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित हो जाती है, जीआरएमबी के लिए अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं या घटकों के सभी पदों का स्थानांतरण और अपेक्षित कर्मचारिवृंद की प्रतिनियुक्ति के लिए समुचित आदेश जारी करेंगी।

(ङ) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारें यथास्थिति इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से ही, परिचालन परियोजनाओं के संबंध में या उस तारीख से जब कोई गैर-परिचालन परियोजना परिचालित हो जाती है, जीआरएमबी के लिए पैरा 1 के खंड (ज) और (ट) के अधीन मदों के अंतरण के लिए, जो है जहां है के आधार पर, उचित आदेश जारी करेंगी।

(च) दोनों राज्य सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक अस्वीकृत परियोजनाओं पर चल रहे सभी कार्यों को तब तक रोक देंगी जब तक कि उक्त परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में किए गए विनिश्चय के अनुसार नहीं कर लिया जाता है। यदि इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के भीतर यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो उक्त चल रही किसी भी अस्वीकृत परियोजना का पूर्ण या आंशिक परिचालन समाप्त कर दिया जाएगा।

(छ) दोनों राज्य सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुसार मूल्यांकित और अनुमोदित/अननुमोदित परियोजनाओं को पूरा करेगी। यदि इस अधिसूचना के प्रकाशन के छह महीने के नियत समय के भीतर अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसे पूर्ण अननुमोदित परियोजनाओं का प्रचालन समाप्त हो जाएगा।

3. यह अधिसूचना तारीख 14 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

अनुसूची-1

जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख वर्क्स (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा, और परियोजनाओं / घटकों की पारेषण लाइनों का अधिकार क्षेत्र जीआरएमबी का होगा।

| क्र.सं. | परियोजना का नाम/ घटक | राज्य | श्रेणी | स्थिति | अनुमोदन स्थिति | आज की तारीख में परिचालन की स्थिति |
|---------|---|--------------|--------|--------|-------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | पेद्दावगु जलाशय योजना (गुम्मडिपल्ली) 1.1 (i) स्पिलवे के साथ मिट्टी का बांध (ii) आरएमसी के लिए जल मार्ग (iii) एलएमसी के लिए जलमार्ग (iv) एलएमसी के दूसरी और तीसरी सहायक नदियों के बीच नहर/नियामक अवसंरचना (v) आरएमसी की चौथी से पांचवीं सहायक नदियों के बीच नहर/ नियामक अवसंरचना 1.2: 1.1 के सिवाए अन्य शेष कार्य | टीएस- एपी | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 2 | श्री के.वी.राम कृष्ण (सूरमपालेम) जलाशय योजना | एपी | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 3 | मुसुरुमिली जलाशय | एपी | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 4 | पोलावरम के समीप पोलावरम परियोजना (V), सर ऑर्थर कॉटन बैराज के अपस्ट्रीम में 42 किमी। | | | | | |
| | 4.1 पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी): जलाशय, प्रमुख कार्य, स्पिलवे और नदी जलप्रवाह, फिश पास, कनेक्टिविटी, ओटी नियामक, नेविगेशन नहर और समरलाकोटा प्रमुख | एपी | बड़ा | सतत | अनुमोदित | गैर- परिचालित |
| | 4.2 कृष्णा डेल्टा आपूर्तियों की जगह कृष्णा नदी के लिए 80 टीएमसी अंतरण के लिए आरएमसी इस प्रकार नागूर्जनासागर से ऊपर परियोजनाओं के लिए अंतरित 80 टीएमसी जल का प्रयोग हो रहा है। | एपी- टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से प्रचालित |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| | 4.3 कृष्णा नदी की ओर मोड़े गए गोदावरी जल का मुख्य नियामक (पोलावरम परियोजना के अधीन एनएस-एलएमसी कमांड (21/11, 21/10वी) का विस्तार | एपी | बड़ा | सतत | अनुमोदित | गैर- परिचालित |
| | 4.4 पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 960 मेगावाट | एपी | बड़ा | सतत | अनुमोदित | गैर- परिचालित |
| | 4.5 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 के सिवाए शेष कार्य | एपी | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से प्रचालित |
| | 4.6 पुष्कर में थोटा वेंकटाचलम एलआईएस (पोलावरम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना)-पंप हाउस (पोलावरम के प्रचालन के पश्चात इसका संचालन बंद हो जाएगा।) | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.7 केवल मद 4.6 का शेष कार्य | | | | | |
| | 4.8 तडीपुडी में एलआईएस (पोलावरम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना) - पंप हाउस (पोलावरम के प्रचालन के पश्चात इसका संचालन बंद हो जाएगा।) | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 4.9 केवल मद 4.8 का शेष कार्य | | | | | |
| | 4.10 मद 4.2 के लिए पट्टीसीमा एलआईएस (पोलावरम के प्रचालन के पश्चात इसका संचालन बंद हो जाएगा।) | एपी | बड़ा | पूर्ण (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | परिचालित |
| | 4.11 पुरुषोथापट्टनम में एलआईएस-पंप हाउस चरण- I और चरण- II पर (पोलावरम के प्रचालन के पश्चात इसका संचालन बंद हो जाएगा।) | एपी | बड़ा | पूर्ण (के पश्चात 2/6/2014) | अननुमोदित | परिचालित |
| | 4.12 पुरुषोथापट्टनम में एलआईएस-4.11 के सिवाए अन्य कार्य | | | | | |
| 5 | सर आर्थर कॉटन बैराज (गोदावरी डेल्टा प्रणाली) | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 5.1 जलाशय और बैराज; दौलईश्वरम आर्म, रैली आर्म, मद्दुरु आर्म और विज्जेश्वरम आर्म | | | | | |
| | 5.2 नेविगेशन लॉक/चैनल, फिश पास और प्रमुख नियामक; पूर्वी डेल्टा, मध्य डेल्टा, पश्चिमी डेल्टा और पिट आंध्र प्रदेश उरम प्रमुख | | | | | |
| | 5.3 5.1 और 5.2 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 6 | थोरीगेड्डा में एलआईएस | एपी | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी* | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|---|------|-------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | 6.1 पंप हाउस | | | | | |
| | 6.2 6.1 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 7 | चिंतलपुडी में एलआईएस | एपी | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | गैर- परिचालित |
| | 7.1 चरण-I और चरण-II के पंप हाउस | | | | | |
| | 7.2 वेम्पाडु पर मुख्य नियामक- एनएस एलएमसी चिंतलपुडी एलआईएस के अधीन 21वां प्रमुख लिंक | | | | | |
| | 7.3 7.1 और 7.2 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 8 | चागलनाडु में एलआईएस | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 8.1 पम्प हाउस | | | | | |
| | 8.2 8.1 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 9 | वेंकटनगरम में एलआईएस | एपी | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| | 9.1 पंप हाउस | | | | | |
| | 9.2 9.1 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 10 | घनपुर अनिकुट | टीएस | बड़ा | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| | 10.1 महबूब नेहर और फतेह नेहर नहरों के प्रमुख नियामक | | | | | |
| | 10.2 10.1 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 11 | निजाम सागर परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 12 | श्रीराम सागर परियोजना- चरण- I (पोचमपद और लोअरमनेयर बांध पर) | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 12.1 श्री राम सागर परियोजना चरण-I के अंतर्गत गीसुगोंडा कस्बे के निकट काकतीय नहर पर क्रॉस नियामक | | | | | |
| | 12.2 12.1 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 13 | इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर (पोचमपद और मिड मनेयर बांध पर) | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 14 | कदम नारायण रेड्डी परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 15 | किन्नरसानी परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 16 | पोचारम परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 17 | नल्लवगु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 18 | कौलासनला सिंचाई परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 19 | स्वर्ण परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 20 | खानापूर (सदरमत) चैनल | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 21 | रामादुगु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|---|------|-------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 22 | सुधावगु सिंचाई परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 23 | अपर मनेर परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 24 | शनिगर परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 25 | सालिवागु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 26 | रामप्पा झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 27 | बोग्गुलवागु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 28 | सथनाला परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 29 | वट्टिवागु चरण-1 और 2 | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 30 | चेलामेलवागु सिंचाई परियोजना (एनटीआर सागर) | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 31 | लखनवरम झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 32 | तालीपेरु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 33 | मल्लुरवागु योजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 34 | मुक्कामामिदी परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 35 | पी वी नरसिम्हा राव कथलापल्ली बैराज | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| 36 | गोलवागु जलाशय परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 37 | रालिवागु जलाशय परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 38 | भूपतिपालेम जलाशय | एपी | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 39 | मथादिवागु जलाशय परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 40 | येरावागु सिंचाई परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 41 | पेद्दावगु परियोजना (कोमाराम भीम) - अदा | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 42 | नीलवई जलाशय परियोजना (पेद्दावगु) | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 43 | जगन्नादपुर में पेडावागु डायवर्जन योजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | गैर-परिचालित |
| 44 | कालेश्वरम परियोजना | टीएस | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अनुमोदित | परिचालित |
| | 44.1 मेदिगड्डा में बैराज और कन्नपल्ली में पम्पिंग स्टेशन | | | | | |
| | 44.2 अन्नाराम, सुंडीला और येलमपल्लीपर बैराज; | | | | | |
| | 44.3 गांव में पंप हाउस; अन्नाराम, गोडलवाडा और वेमनुरी | | | | | |
| | 44.4 कोंडापोचम्मा सागर से शमीरपेट | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| | झील तक नहर पर क्रॉस नियामक | | | | | |
| | 44.5 मलकानगिरी/गंधमल्ला जलाशय की ओर द्विभाजन केन्द्र के आगे क्रॉस मुख्य नियामक | | | | | |
| | 44.6 44.1 से 44.5 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 45 | कालेश्वरम परियोजना (अतिरिक्त 1 टीएमसी/दिन) | टीएस | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | गैर- परिचालित |
| | 45.1 कन्नपल्ली में पंप हाउस | | | | | |
| | 45.2 45.1 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 46 | जेचोक्का राव एलआईएस | टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| | 46.1 गंगाराम में पंप हाउस | | | | | |
| | 46.2 रामप्पा झील -पाखल झील लिंक पर नियामक | टीएस | मध्यम | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | परिचालित |
| | 46.3 46.1 और 46.2 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 47 | तुपाकुलगुडेम बैराज | टीएस | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | गैर- परिचालित |
| 48 | गुंडलावागु परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 49 | मोदीकुंतवागु परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अननुमोदित | गैर- परिचालित |
| 50 | पलेमवागु सिंचाई परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 51 | एम बागा रेड्डी सिंगुर (सिंचाई और डब्ल्यू.एस) परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 51.1 सिंगुर बांध के तीसरे और चौथे चरण के हैदरापश्चात-सिकंदरापश्चात दोनों शहरों में जलापूर्ति | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 51.2 मंजीरा बैराज और दोनों शहरों को चरण I और II के लिए जलापूर्ति | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 51.3 51.1 से 51.2 के सिवाए शेष कार्य | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 52 | धर्मसागर झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 53 | स्तम्भमपल्ले झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 54 | मुचेरला नगरम झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 55 | कोर्कीशाला मात (चैनल) | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 56 | रोलावगु जलाशय | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 57 | बोलिचेरुवु (बंदम) | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-------|--------------------------|--|---------------|
| 58 | चौटपल्ली हनुमंत रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 59 | कंडकुर्ती सूची | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 60 | लेंडी परियोजना के अधीन कॉमन नहर के 18.98 आरडी पर आरबीसी का प्रमुख नियामक | एमएच-टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित (जीडब्ल्यूडीटी अवार्ड-अनुबंध-II के अनुबंध-ए के वर्ग VII(ए) के अनुसार” | परिचालित |
| 61 | निचला पेंगंगा परियोजना परिसर | एमएच - टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित (जीडब्ल्यूडीटी अवार्ड-उपाबंध-II से अनुबंध-ए के वर्ग VII (ए) के अनुसार”और एमएच-टीएस समझौता | परिचालित |
| | 61.1 रुद्र (चाणक-कोर्ता) आड | | | | | |
| | 61.2 हट्टीघाट बैराज | | | | | |
| 62 | बाबा सागर परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | लागू नहीं होता | परिचालित |
| 63 | डॉ बी आर अम्बेडकर प्राणहिता परियोजना | टीएस | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर- परिचालित |
| 64 | गुडेम लिफ्ट सिंचाई योजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 65 | बोथ परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | लागू नहीं होता | परिचालित |
| 66 | अलीसागर एलआईएस (गांव-कोसली) | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 67 | गुल्फाएलआईएस (गांव-उम्मेदा) | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 68 | मुक्तेश्वर: (चिन्नाकालेश्वरम) एलआईएस | टीएस | बड़ा | सतत | अननुमोदित | परिचालित |
| | 68.1 कन्नेपल्ली में पम्प हाउस | | | | | |
| | 68.2 68.1 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 69 | सीताराम (राजीव दुम्मुगुडेम) एलआईएस | टीएस | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | गैर- परिचालित |
| | 69.1 बीजी कोट्टुरु (बी), अश्वपुरम | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|-------|-------------|---------------------------|
| | (एम), कोटागुडेम जिला में 6 पंपों के साथ पंप हाउस-I | | | | | |
| | 69.2 दुम्मुगुडेमवियर, नेविगेशन चैनल और लॉकस् | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | एनसीएल को छोड़कर परिचालित |
| | 69.1 और 69.2 के सिवाए 69.3 शेष कार्य | | | पूर्ण | | |
| 70 | मचकुंड जलविद्युत परियोजना (पूर्ववर्ती एपीका हिस्सा) | उडीसा-एपी-टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 71 | सिलेरू पावर कॉम्प्लेक्स | एपी-टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| | 71.1 बांध, जलाशय और कनेक्टिंग नहरें (i) अपर सिलेरू पीएच 240 मेगावाट (ii) लोअर सिलेरू पीएच 460 मेगावाट (iii) डोनकारई नहर पीएच 25 मेगावाट | | | | | |
| | 71.2 71.1 के सिवाए अन्य शेष कार्य | | | | | |

*पूर्व-टीएसी परियोजना को अनुमोदित माना जाएगा।

अनुसूची -2

जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख वर्क्स (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा और परियोजनाओं/घटकों की पारेषण लाइन, जिस पर जीआरएमबी का अधिकार क्षेत्र होगा।

| क्र.सं. | परियोजना का नाम/ अंग | राज्य | श्रेणी | स्थिति | अनुमोदन स्थिति | आज की तारीख में परिचालन की स्थिति |
|---------|--|----------|--------|--------|-------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | पेद्दावगु जलाशय योजना (गुम्मडिपल्ली) अनुसूची 1 की मद 1.1 (i) (स्पिलवे के साथ मिट्टी का बांध (ii) आरएमसी के लिए जल मार्ग (iii) एलएमसी के लिए जल मार्ग (iv) एलएमसी में दूसरी और तीसरी सहायक नदियों के बीच नहर/विनियमन संरचना (v) आरएमसी में चौथी और पांचवीं सहायक नदी के बीच नहर/विनियमन संरचना) | टीएस-एपी | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 2 | पोलावरम परियोजना और पोलावरम (V, 42 सर आर्थर कॉटन बैराज केएम के प्रतिप्रवाह के निकट संबंधित परियोजनाएं | | | | | |
| | अनुसूची-1 की मद संख्या 4.1 (पोलावरम सिंचाई परियोजना | एपी | बड़ा | सतत | अनुमोदित | गैर- परिचालित |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|----------------------------|-----------|-----------------------|--|
| (पीआईपी)) जलाशय, प्रमुख वक्स, स्पिलवे और नदी सिल्यूस, फिसपास, कनेक्टिवीटीज, ओटी रेगुलेटर्स, नेवीगेशन कैनाल एंड समर लकोरता प्रमुख | | | | | | |
| अनुसूची-1 की मद संख्या 4.2 (कृष्णा डेल्टा आपूर्ति के स्थान पर कृष्णा नदी के लिए 80 टीएमसी आरएमसी हेतु स्थानान्तरित जिससे नागार्जुन सागर के ऊपर परियोजना हेतु स्थानान्तरित 80 टीएमसी जल का उपयोग | एपी/ टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित | |
| अनुसूची 1 का मद 4.3 (गोदावरी के पानी का प्रमुख नियामक कृष्णा की तरफ मोड़ा गया है (एनएस-एलएमसी कमांड (21/11, 21/10बी) पोलावरम परियोजना के अंतर्गत)) | एपी | बड़ा | सतत | अनुमोदित | गैर-परिचालित | |
| अनुसूची 1 का मद 4.4 (960 एमडब्ल्यू मे.वा. का पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट) | एपी | बड़ा | सतत | अनुमोदित | गैर- परिचालित | |
| अनुसूची 1 का मद 4.6 (पुष्कर में थोटा वेंकाटाचालम एलआईएस) (पोलावरम सिंचाई परियोजना के आदेशित क्षेत्र को सिंचाई मुहैया कराना)-पंप हाउस) (पोलावरम के संचालन के पश्चात इसे बंद कर दिया जाएगा) | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित | |
| अनुसूची 1 का मद 4.8 (ताडीपुडी में एलआईएस) (पोलावरम सिंचाई परियोजना के आदेशित क्षेत्र को सिंचाई मुहैया कराना)- पंप हाउस) (पोलावरम के संचालन के पश्चात इसे बंद कर दिया जाएगा) | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित | |
| अनुसूची 1 का मद 4.10 (पट्टीसीमा एलआईएस के लिए अनुसूची I का मद 4.2) (पोलावरम के संचालन के पश्चात इसे बंद कर दिया जाएगा) | एपी | बड़ा | पूर्ण (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | परिचालित | |
| अनुसूची 1 का मद 4.11 (पुरुषोत्तम एलआईएस-पंप हाउस का स्तर-I और स्तर-II) (पोलावरम के संचालन के पश्चात इसे बंद कर दिया जाएगा) | एपी | बड़ा | पूर्ण (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | परिचालित | |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------|---------------------------|-------------|--------------|
| 3 | सर आर्थर कॉटन बैराज (गोदावरी डेल्टा सिस्टम) | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 का मद 5.1 (जलाशय एवं बैराज; दोलाईश्वरम आर्म, राल्ली आर्म, मादूरु आर्म एवं विजेश्वरम आर्म) | | | | | |
| | अनुसूची 1 का मद 5.2 (नेवीगेशन लॉक्स/चैनल्स, फिश पासेज और प्रमुख नियामक; पूर्वी डेल्टा, केन्द्रीय डेल्टा, पश्चिमी डेल्टा और पीतापुरम प्रमुख) | | | | | |
| 4 | थोरीगेड्डा का एलआईएस | एपी | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| | अनुसूची 1 का मद 6.1 (पंप हाउस) | | | | | |
| 5 | चिंतालपुडी में एलआईएस | एपी | मध्यम | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 7.1 (चरण-I और चरण-II पर पंप हाउस) | | | | | |
| | अनुसूची 1 की मद 7.2 (चिंतालपुडी एलआईएस के अधीन वेम्पाडु एनएस एलएमसी 21 वीं प्रमुख लिंक पर मुख्य नियामक) | | | | | |
| 6 | चागलनाडु में एलआईएस | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 8.1 (पंप हाउस) | | | | | |
| 7 | वेंकटनगरम में एलआईएस | एपी | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 9.1 (पंप हाउस) | | | | | |
| 8 | श्रीराम सागर परियोजना- चरण- I (पोचमपद और लोअर मनेयर बांध पर) | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 12.1 (श्री राम सागर परियोजना चरण- I के अधीन गीसुगोंडा शहर के पास काकतीय नहर पर क्रॉस नियामक) | | | | | |
| 9 | कालेश्वरम परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 44.1 (मेदिगड्डा में बैराज और कन्नेपल्ली पर पंपिंग स्टेशन) | | | | | |
| | अनुसूची 1 की मद 44.4 (कोंडापोचम्मा सागर शमीरपेट) | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| | झील से नहर पर क्रॉस नियामक) | | | | | |
| | अनुसूची 1 की मद 44.5 (मलकानगिरी/गंधमल्ला जलाशय की ओर द्विभाजन बिंदु के पश्चात क्रॉस प्रमुख नियामक) | | | | | |
| 10 | कालेश्वरम परियोजना (अतिरिक्त 1 टीएमसी/दिन) | टीएस | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | गैर- परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 45.1 (कन्नपल्ली में पंप हाउस) | | | | | |
| 11 | जे. चोकका राव एलआईएस | टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 46.1 (गंगाराम में पंप हाउस) | | | | | |
| | अनुसूची 1 की मद 46.2 (रामप्पा झील-पाखल झील लिंक पर नियामक) | टीएस | मध्यम | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | परिचालित |
| 12 | तोपाकुल्लागुडेम बैराज | टीएस | बड़ा | (2/6/2014 के पश्चात) सतत | गैर-अनुमोदित | गैर-परिचालित |
| 13 | मुक्तेश्वर (चिन्नाकालेश्वरम) एलआईएस | टीएस | बड़ा | सतत | गैर-अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची -1 की मद 68.1 (कन्नपल्ली पर पंप हाउस) | | | | | |
| 14 | सीताराम (राजीव दुम्मुगुडेम) एलआईएस | टीएस | बड़ा | (2/6/2014 के पश्चात) सतत | गैर-अनुमोदित | गैर-परिचालित |
| | अनुसूची -1 की मद 69.1 (बीजी कोत्तूरु (V), अश्वपुरम (एम), कोत्तागुडेम जिले में 6 पंपों के साथ पंप हाउस -1 | | | | | |
| | 69.2 दुम्मुगुडेम वियर, नेवीगेशन चैनल और लॉक | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | एनसीएल को छोड़कर परिचालित |
| 15 | मचकुंड जल विद्युत परियोजना (पूर्ववर्ती एपीका हिस्सा) | ओडीशा-एपी- टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 16 | सिलियेरू पावर कॉम्प्लैक्स | एपी-टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 71.1 (बांध, जलाशय, निम्नलिखित नहरों को जोड़ने वाली) (i) ऊपरी सिलियेरू पीएच मेगावाट 240 (ii) लोअर सिलियेरू पीएच 460 मेगावाट (iii) डोंकराई नहर पीएच 25 मेगावाट | | | | | |

अनुसूची -3

जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख वर्क्स (बैराज, बांध, जलाशय, नियामक संरचनाएं), नहर नेटवर्क का हिस्सा और परियोजनाओं/घटकों की पारेषण लाइन, जिस पर जीआरएमबी का अधिकार क्षेत्र होगा।

| क्र.सं. | परियोजना का नाम/ अंग | राज्य | श्रेणी | स्थिति | अनुमोदन स्थिति | आज की तारीख में परिचालन की स्थिति |
|---------|---|----------|--------|-----------------------------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | पेद्दावगु जलाशय योजना (गुम्मडिपल्ली) अनुसूची 1 की मद 1.1 (i) स्पिलवे के साथ मिट्टी का बांध (ii) आरएमसी के लिए जल मार्ग (iii) एलएमसी के लिए जल मार्ग (iv) एलएमसी में दूसरी और तीसरी सहायक नदियों के बीच नहर/विनियमन संरचना (v) आरएमसी में चौथी और पांचवीं सहायक नदी के बीच नहर/विनियमन संरचना) | टीएस-एपी | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 2 | श्री के.वी.राम कृष्ण (सूरमपालेम) जलाशय योजना | एपी | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 3 | मुसुरुमिली जलाशय | एपी | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 4 | पोलावरम के समीप पोलावरम परियोजना (V), सर आर्थर कॉटन बैराज के अपस्ट्रीम में 42 किमी। | | | | | |
| | अनुसूची 1 की मद 4.5 (अनुसूची-1 के 4.1, 4.2,4.3 और 4.4 के सिवाए शेष कार्य) | एपी | बड़ा | सतत | अनुमोदित | आंशिक रूप से परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 4.7 (पुष्कर में थोतावेकटाचल्लम एलआईएस के पंप हाऊस के सिवाए (पोलावरम सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराना) | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 4.9 (ताड़ीपुडु में एलआईएस के पंप हाऊस के सिवाए (पोलावरम सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराना)) | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 4.10 (पट्टीसीमा एलआईएस के पंप हाऊस के सिवाए) | एपी | बड़ा | पूर्ण 2/6/2014 के पश्चात | अननुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 4.11 (पुरुषोत्थापट्टनम एलआईएस के चरण-1 और चरण -2 के पंप हाऊस के सिवाए) | एपी | बड़ा | पूर्ण 2/6/2014 के पश्चात | गैर-अनुमोदित | परिचालित |
| 5 | सर आर्थर कॉटन बैराज (गोदावरी डेल्टा सिस्टम) | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|---|------|-------|--------------------------|--------------|--------------|
| | अनुसूची 1 की मद 5.1 को छोड़कर (जलाशय और बैराज; दोलईश्वरम शाखा, रैली शाखा, मद्दुरु शाखा और विजेश्वरम शाखा) और | | | | | |
| | अनुसूची 1 की मद 5.2 को छोड़कर (नेविगेशन लॉक/चैनल, फिश पास और प्रमुख नियामक; पूर्वी डेल्टा, मध्य डेल्टा, पश्चिमी डेल्टा और पीतापुरम प्रमुख) | | | | | |
| 6 | पंप हाऊस को छोड़कर, थोरीगड्डा में एलआईएस | एपी | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 7 | चित्तलपुडी में एलआईएस | एपी | बड़ा | (2/6/2014 के पश्चात) सतत | गैर-अनुमोदित | गैर-परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 7.1 को छोड़कर (चरण- I और चरण- II के पंप हाऊस) और | | | | | |
| | अनुसूची 1 के मद 7.2 को छोड़कर (चित्तलपुडी एलआईएस के अधीन 21वीं बड़ा लिंक - वेम्पाडु पर प्रमुख नियामक- एनएस एलएमसी) | | | | | |
| 8 | पंप हाऊस को छोड़कर चागलनाडु में एलआईएस | एपी | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 9 | पंप हाऊस को छोड़कर वेंकटनगरम में एलआईएस | एपी | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 10 | घनपुर अनीकट | टीएस | बड़ा | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| | 10.1 मेहबूब नेहर और फतेह नेहर नहरों के प्रमुख नियामक | | | | | |
| | 10.2 10.1 के सिवाए शेष कार्य | | | | | |
| 11 | निजाम सागर परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 12 | श्रीराम सागर परियोजना - चरण-1 (पोच्चमपडु और लोअर मन्येयेर बांध) | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 की मद 12.1 को छोड़कर (श्रीराम सागर परियोजना चरण -1 के अधीन गीसूगोंडा के समीप काकातिया नहर पर क्रास नियामक) | | | | | |
| 13 | इंद्राम्मा बाढ़ प्रवाह नहर(पोच्चमपडु और मध्यम मन्येयेर बांध) | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 14 | कड्डमनारायड रेड्डी परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 15 | केन्नरसानी परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 16 | पोच्चाराम परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 17 | नल्लावग्गु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 18 | कोलासनल्ला सिंचाई परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |

| | | | | | | |
|----|---|------|-------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 19 | स्वर्ण परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 20 | खानपुर (सादरमत) चैनल | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 21 | रामदुग्गु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 22 | सुधावग्गु सिंचाई परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 23 | ऊपरी मनय्येर परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 24 | शनिग्राम परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 25 | सालीवग्गु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 26 | रामाप्या झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 27 | वोगुलवग्गु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 28 | सतनल्ला परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 29 | वत्तीवग्गु चरण-1 और चरण -2 | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 30 | चेल्लममेल्लावग्गु सिंचाई परियोजना (एनटीआर सागर) | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 31 | लखनावरम झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 32 | ताल्लीपेरु परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 33 | मल्लूरवग्गु योजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 34 | मुक्काममिद्वी परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 35 | पीवी नरसिम्हा राव कांथाल्लापल्ली बैराज | टीएस | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| 36 | गोल्लावग्गु जलाशय परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 37 | रल्लीवग्गु जलाशय परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 38 | भूपथीपालेम जलाशय | एपी | मध्यम | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 39 | माथाडिवागु जलाशय परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 40 | येरवागु सिंचाई परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 41 | पेड्डावागु परियोजना (कोमाराभीम)-एडीए | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 42 | निलवई जलाशय परियोजना (पेड्डावागु) | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 43 | जगन्नादापुर में पेड्डावागु डायवर्जन स्कीम | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | गैर-परिचालित |
| 44 | कालेश्वर परियोजना | टीएस | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 के मद 44.1 को छोड़कर (मेड्डीगड्डा में बैराज और कानेपेल्ली में पंपिंग स्टेशन), | | | | | |
| | अनुसूची 1 के मद 44.4 को छोड़कर (कोंडापोचामा सागर शमीरपेट झील से नहर पर क्रास नियामक) और | | | | | |
| | अनुसूची 1 के मद 44.5 को छोड़कर (मलकानगिरी/गंधमल्ला जलाशय की ओर द्विभाजन बिंदु के पश्चात क्रॉस प्रमुख | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------|--------------------------|--|--------------|
| | नियामक) | | | | | |
| 45 | कालेश्वर परियोजना (अतिरिक्त 1 टीएमसी/दिन) | टीएस | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अनुमोदित | गैर-परिचालित |
| | अनुसूची 1 के मद 45.1 को छोड़कर (कन्नेपल्ली में पंप हाउस) | | | | | |
| 46 | जे. चोक्काराव एलआईएस | टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 के मद 46.1 को छोड़कर (गंगाराम में पंप हाउस) और | | | | | |
| | अनुसूची 1 के मद 46.2 को छोड़कर (रामप्पा झील पर नियामक -पाखल झील लिंक) | टीएस | मध्यम | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | परिचालित |
| 47 | टुपाकुलागुडेम बैराज | टीएस | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| 48 | गुंडलावागु परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 49 | मोदीकुंटावागु परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| 50 | पालेमवागु सिंचाई परियोजना | टीएस | मध्यम | सतत | अनुमोदित | परिचालित |
| 51 | एम बागा रेड्डी सिंगुर (सिंचाई और डब्ल्यू.एस.) परियोजना | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 51.1 हैदरापश्चात सिकंदरापश्चात ट्विन सिटीज में जलापूर्ति-सिंगुर बांध के फेज III और IV | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 51.2 मंजीरा बैराज ट्विन सिटीज में फेज-I और II के लिए जलापूर्ति | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| | 51.2 51.1 और 52.2 की अपेक्षा अन्य कार्य | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 52 | धर्मसागर झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 53 | स्तम्भमपाली झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 54 | मुचेरालानागाराम झील | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 55 | कोरकीशालामात (चैनल्स) | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 56 | रोल्लावागु जलाशय | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 57 | बेलीचेरवु (बंदम) | टीएस | मध्यम | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 58 | चोटपाल्ली हनुमंत रेड्डी लिफ्ट सिंचाई स्कीम | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 59 | कंडूकर्थी एलआईएस | टीएस | मध्यम | पूर्ण | अननुमोदित | परिचालित |
| 60 | लेंडी परियोजना के अधीन सामान्य नहर के आरडी 18.98 किमी पर आरबीसी के प्रमुख नियामक | एमएच-टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित (जीडब्ल्यूडीटी अवार्ड- CI VII(ए) के उपाबंध-II से उपाबंध"ए" के | परिचालित |

| | | | | | अनुसार | |
|----|--|------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------|
| 61 | निचली पेनगंगा परियोजना कॉम्पलेक्स | एमएच-टीएस | बड़ा | सतत | अनुमोदित (जीडब्ल्यूडीटी अवार्ड- CI VII(ए) के उपाबंध-II से उपाबंध"ए" के अनुसार और एमएच-टीएस समझौता | परिचालित |
| | 61.1 रुद्र (चनका-कोरटा) बैराज | | | | | |
| | 62.2 हट्टीघाट बैराज | | | | | |
| 62 | बाबा सागर परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | लागू नहीं होता | परिचालित |
| 63 | डॉ. बी आर अम्बेडकर प्राणहिता परियोजना | टीएस | बड़ा | सतत | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| 64 | गुडेम लिफ्ट सिंचाई स्कीम | टीएस | बड़ा | नया | अननुमोदित | परिचालित |
| 65 | बोथ परियोजना | टीएस | मध्यम | पूर्ण | लागू नहीं होता | परिचालित |
| 66 | अलीसागर एलआईएस (ग्राम-कोसली) | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 67 | गुल्फा एलआईएस (ग्राम-उम्मेदा) | टीएस | बड़ा | पूर्ण | अनुमोदित | परिचालित |
| 68 | मुक्तेश्वर (चिन्नाकालेश्वरम) एलआईएस | टीएस | बड़ा | सतत | अननुमोदित | परिचालित |
| | अनुसूची 1 के मद 68.1 को छोड़कर (कन्नेपल्ली पर पंप हाउस) | | | | | |
| 69 | सीतारामा (राजीव डुम्मुगुडेम) एलआईएस | टीएस | बड़ा | सतत (2/6/2014 के पश्चात) | अननुमोदित | गैर-परिचालित |
| | अनुसूची 1 के मद 69.1 को छोड़कर (बीजी पर 6 पंपों के साथ पंप हाउस -I कोटदुरु (बी), अश्वपुरम (एम), कोथागुडेम जिला) और | | | | | |
| | अनुसूची 1 के मद 69.2 को छोड़कर (दुम्मुगुडेम वेयर, नेवीगेशन चैनल और लॉक्स) | टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | एसीएल के सिवाए परिचालित |
| 70 | माचकुंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (पहले का एपीका हिस्सा) | ओडिशा - एपी-टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| 71 | सिलेरू पावर कॉम्पलेक्स | एपी-टीएस | लागू नहीं होता | पूर्ण | पूर्व-टीएसी | परिचालित |
| | अनुसूची 1 के मद 71.1 को छोड़कर | | | | | |

[फ़ा. सं. आर-22012/1/2021-पेन.रिव- एमओडब्लूआर]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2021

S.O. 2843(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 (6 of 2014) (hereafter referred to as the said Act), with effect from 2nd June, 2014, the Central Government constituted an Apex Council for the supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

And whereas, in pursuance of the powers conferred under sub-section (1) of section 85 of the said Act, the Central Government on 28th May, 2014 constituted the Godavari River Management Board (hereafter referred to as the GRMB) and the same became effective on 2nd June, 2014 to perform the functions mentioned therein for the administration, regulation, maintenance and operation of projects as may be notified by the Central Government;

And whereas, sub-section (8) of section 85 of the said Act provides that the functions of the GRMB, *inter alia*, shall include, —

(a) the regulation of supply of water from the projects to the successor States having regard to the awards granted by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 and any agreement entered into or arrangement made covering the Government of existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(b) the regulation of supply of power generated to the authority in-charge of the distribution of power having regard to any agreement entered into or arrangement made covering the Government of the existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(c) the construction of such of the remaining on-going or new works connected with the development of the water resources projects relating to the rivers or their tributaries through the successor States as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette;

(d) making an appraisal of any proposal for construction of new projects on Godavari river and giving technical clearance, after satisfying that such projects do not negatively impact the availability of water as per the awards of the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 for the projects already completed or taken up before the appointed day;

(e) such other functions as the Central Government may entrust to it on the basis of the principles specified in the Eleventh Schedule.

And whereas sub-section(1) of Section 86 of said act provides that the Board shall employ such staff as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions under this Act and such staff shall, at the first instance, be appointed on deputation from the successor States in equal proportion and absorbed permanently in the Board;

And whereas sub-section (2) of Section 86 of said act provides that the Government of the successor States shall at all times provide the necessary funds to the Board to meet all expenses (including the salaries and allowances of the staff) required for the discharge of its functions and such amounts shall be apportioned between the States concerned in such proportion as the Central Government may, having regard to the benefits to each of the said States, specify;

And whereas, sub-section (4) of section 86 of the said Act empowers the Central Government, for the purpose of enabling the GRMB to function efficiently, to issue such directions to the State Governments concerned, or any other authority; and the State Governments, or the other authority shall comply with such directions;

And whereas, sub-section(1) of section 87 of the said Act provides that the Board shall ordinarily exercise jurisdiction on Godavari and Krishna rivers in regard to any of the projects over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines necessary to deliver water or power to the States concerned, as may be notified by the Central Government, having regard to the awards, if any, made by the Tribunals constituted under the Inter State River Water Disputes Act, 1956;

And whereas, section 92 of the said Act provides that the principles, guidelines, directions and orders issued by the Central Government, on and from the appointed day, i.e., on the 2nd day of June, 2014, on

matters relating to coal, oil and natural gas, and power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule shall be implemented by the successor States.

And whereas, in its 2nd meeting of the Apex Council, held on 6th October, 2020, it has been decided to notify the jurisdiction of both Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the said Act, the Central Government hereby notifies that the Godavari River Management Board shall ordinarily exercise the following jurisdiction on Godavari river, namely:—

1. (a) The projects and its components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-1, Schedule-2 and Schedule-3 to this notification.

(b) To perform all the functions and to regulate the supply of water and power generated from the projects or components thereof to the successor States, as specified in Part IX and the Twelfth Schedule to the said Act—

- (i) having regard to the Awards made by the Godavari Water Disputes Tribunal (Bachawat Tribunal);
- (ii) under any agreement entered into or arrangement made by the then existing State of Andhra Pradesh with any other State or Union territory; and
- (iii) Any other agreements that may be made by the co-basin States in this regard.

Explanation.—For the purpose of this notification, it is here by clarified that,—

(i) Schedule-1 specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network of the projects or components and transmission lines over which the GRMB shall ordinarily have jurisdiction as per decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council covering all the existing and on-going projects (subject to requisite approvals) in Godavari river basin in both the States of Andhra Pradesh and Telangana.

(ii) Schedule-2 (a subset of Schedule-1) specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures) and part of canal network of the projects or components and transmission lines of both States of Andhra Pradesh and Telangana over which the GRMB shall have jurisdiction and shall perform the functions as per the provisions of sub-section (1) of section 85 of the said Act, such as, administration, operation, maintenance and regulation.

(iii) Schedule-3 (a subset of Schedule-1) specifies the head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network of projects or components and transmission lines of both States of Andhra Pradesh and Telangana over which the GRMB shall have jurisdiction, but functions as provided in sub-section (1) of section 85 of the said Act shall be performed by the respective States on behalf of the GRMB as per directions of the said Board.

(iv) All the aforesaid Schedules are subject to modifications by a similar notification issued in the Official Gazette from time to time.

(c) The GRMB may direct the respective State Governments for maintenance of the projects or components specified in Schedule-2, as it may deem necessary and respective State Governments shall carry out such works promptly.

(d) Mere inclusion of any unapproved project in Schedule-1, Schedule-2 or Schedule-3 to this notification does not confer the status of “deemed approval”. Any completed and ongoing unapproved projects in the Schedules shall be subject to the appraisal and approval as per the provisions of the said Act and in accordance with the decision taken in the 2nd meeting of the Apex Council. Subject to provisions of sub-clauses (a), (b) and (c) of Clause-3 of Annexure-G of Godavari Water Disputes Tribunal decision, the regulation of water from unapproved projects in G-10 sub-basin shall be done. For this purpose, till such time as the Polavaram Irrigation Project becomes partially or fully operational, flow estimated or observed at Polavaram G and D site of Central Water Commission shall be treated as inflow into Polavaram reservoir mentioned in the aforesaid sub-clauses of Clause-3 of Annexure-G of Godavari Water Disputes Tribunal

decision and after Polavaram Irrigation Project becomes partially or fully operational, it shall be regulated accordingly.

Explanation.— Unapproved project for the purpose of this notification means any major and medium irrigation and multipurpose project which—

(i) has not been appraised by the GRMB as per clause (d) of sub-section (8) of section 85 and approved by the Apex Council in accordance with clause-(ii) of sub-section (3) of section 84 of the said Act; or

(ii) has not been accepted by the Advisory Committee on Irrigation and Multipurpose and Flood Control Projects (hereafter referred to as the TAC) of Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation after techno-economic appraisal by the Central Water Commission; or

(iii) has been approved previously by the GRMB or the Apex Council or the TAC, as the case may be, and where there is change in scope (such as, changes in size, capacity, geometry, level and location; of intake points, sluices, approach channels, regulators and canal structures, tunnels, canals and distribution network, command area to be served; changes in storage and increase in water utilization, etc.).

(e) On and from the date of commencement of this notification, the Central Industrial Security Force constituted under the Central Industrial Security Force Act, 1968 shall assist the GRMB in the day-to-day management of projects specified in Schedule-2 and any other work related to Security as assigned by the GRMB, on such terms and conditions as the Central Government may specify.

(f) While the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall be responsible for managing natural calamities, the GRMB shall advise the two State Governments on the management of disaster or drought or flood in the river Godavari, particularly in reference to the release of water for the management and mitigation of the natural calamities. The GRMB shall have the full authority to get their orders implemented by the two successor State Governments promptly and effectively in respect of operation of the head works of the dams, reservoirs or head works of canal and work appurtenant thereto including the hydel power projects.

(g) Financial liability of any contract before the date of commencement of this notification, liability arising out of any of the present and future cases filed in the Supreme Court, High Court, and any other Court or Tribunal in regard to the projects or components specified in Schedule-2 shall be the responsibility of the respective State Governments.

(h) No person from the States of Andhra Pradesh and Telangana shall be appointed as the Chairman, Member-Secretary, Members and Chief Engineers of the GRMB.

(i) The number of sanctioned posts before the date of commencement of this notification against the operational projects or components (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2 to this notification shall come under the jurisdiction of the GRMB from the date of commencement of this notification. The work-charged staff, staff working on outsourcing basis and any other agency performing any of the functions in respect of operational projects or components specified in Schedule-2 to this notification before the date of commencement of this notification shall come under the jurisdiction of the GRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 to this notification, provisions of this paragraph shall be applicable *mutatis mutandis* from the date such projects become operational.

(j) Plant, machinery, equipment and stores purchased or procured for and in connection with functions under the said Act, in regard to the operational projects or components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2, shall come under the jurisdiction of GRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 of this notification, provisions of this clause shall be applicable *mutatis mutandis* from the date such projects become operational.

(k) Office premises, equipment, furniture, vehicles, detailed project reports, records or documents maintained since the inception of the operation of the project or component, any other infrastructure pertaining to project and any other accessories incidental thereto related to functions under the said Act, in

regard to the operational projects or components over head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines as specified in Schedule-2, shall come under the jurisdiction of GRMB from the date of commencement of this notification. For non-operational projects specified under Schedule-2 of this notification, provisions of this clause shall be applicable *mutatis mutandis* from the date such projects become operational.

(l) Within a period of sixty days from the date of publication of this notification, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall provide one-time seed money of an amount of rupees two hundred crore each and be deposited in the GRMB bank account to enable the GRMB to discharge its functions effectively.

(m) The States of Andhra Pradesh and Telangana shall deposit the required funds for the functioning of GRMB regularly in its bank account, and in any case, within fifteen days of request received from GRMB secretariat with the approval of its Chairperson. The concerned State Government shall be fully responsible for any unwanted or unforeseen consequences in projects or components and functioning of GRMB arising out of delay in release of funds to it.

(n) The principles, guidelines, directions and orders issued by the GRMB as per the provisions of the said Act, on matters relating to power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule to the said Act shall be implemented by both the States in respect of the projects specified in Schedule-1.

(o) If any question arises as to whether the GRMB has jurisdiction under sub-section (1) of section 87 of the said Act over any project referred thereto, the same shall be referred to the Central Government for decision thereon and the decision of the Central Government shall be final.

(p) Any function or activity not mentioned under sub-section (1) of section 85 of the said Act in regard to the projects or components specified in Schedule-2 shall be the responsibility of the respective State Governments.

2. In addition to the above, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section(4) of section 86 of the said Act, hereby directs the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana to comply with the following, namely:—

(a) The GRMB shall approve and put in place an appropriate organizational structure to perform the functions mandated by this notification within thirty days from the date of publication and shall endeavor to appoint in all category of posts officers serving in the Central Government.

(b) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the States Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall completely hand over the jurisdiction of the projects or components (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines specified in Schedule-2 to this notification to the GRMB so as to enable it to perform the functions mentioned in sub-section (1) of section 85 of the said Act.

(c) Until further directions by the Central Government through a notification in the Official Gazette, in respect of the projects or components specified in Schedule-3 to this notification, respective State Governments shall continue to perform the functions such as, administration, regulation, maintenance and operation of projects as provided in sub-section (1) of section 85 of the said Act, on behalf of the GRMB.

(d) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall issue appropriate orders for transfer of all the posts and deputation of requisite staff for the projects or components specified in Schedule-2 to the GRMB.

(e) On and from the date of commencement of this notification, in respect of operational projects or from the date when a non-operational project becomes operational, as the case may be, the State Governments of Andhra Pradesh and Telangana shall issue appropriate orders for transfer of items under **clauses (j) and (k) of paragraph 1** to the GRMB on as is where is basis.

(f) Both the State Governments shall stop all the ongoing works on unapproved projects as on the date of publication of this notification until the said projects are appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex

Council. If approvals are not obtained within six months after the publication of this notification, full or partial operation if any of the said ongoing unapproved projects shall cease to operate.

(g) Within six months from the date of publication of this notification, both State Governments shall get complete the unapproved projects appraised and approved as per the provisions of the said Act and in accordance with the decisions taken in the 2nd meeting of the Apex Council. If approvals are not obtained within the stipulated time of six months, such completed unapproved projects shall cease to operate.

3. This notification shall come into force with effect from the 14th day of October, 2021.

SCHEDULE-1

Head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines of the projects/components as per information available in Ministry of Jal Shakti over which GRMB will ordinarily have jurisdiction

| Sl. No | Name of the Project/ Component | State | Category | Status | Approval status | Operational status as on date |
|--------|--|-----------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Peddavagu Reservoir Scheme (Gummadipally) 1.1 (i) Earthen Dam with Spillway (ii) Sluice for RMC (iii) Sluice for LMC (iv) Canal/Regulating Structure Between 2 nd and 3 rd Distributory in LMC (v) Canal/Regulating Structure Between 4 th and 5 th Distributory in RMC 1.2: Balance Works other than 1.1 | TS/ AP | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 2 | Sri K.V. Rama Krishna (Surampalem) Reservoir Scheme | AP | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 3 | Musurumilli reservoir | AP | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 4 | Polavaram Project and related projects near Polavaram (V), 42 KM upstream of Sir Aurthur Cotton Barrage. | | | | | |
| | 4.1 Polavaram Irrigation Project (PIP): Reservoir, Head Works, Spillway and River Sluices, Fish Pass, Connectivity's, OT Regulators, Navigation canal and Samarlakota Head | AP | Major | Ongoing | Approved | Non-operational |
| | 4.2 RMC for Transfer 80TMC for Krishna River replacing Krishna Delta Supplies thereby utilizing the replaced 80TMC waters for projects above Nagurjanasagar | AP/ TS | Major | Ongoing | Approved | Partially Operational |
| | 4.3 Head Regulator at Godavari Water diverted to Krishna (Augmentation of NS-LMC command (21/11, 21/10B) under Polavaram Project) | AP | Major | Ongoing | Approved | Non-Operational |
| | 4.4 Polavaram Hydro Electric Power Plant of 960 MW | AP | Major | Ongoing | Approved | Non-Operational |
| | 4.5 Balance Works other than 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4 | AP | Major | Ongoing | Approved | Partially Operational |

| | | | | | | |
|---|---|----|--------|----------------------------|------------|-----------------|
| | 4.6 Thota Venkatachalam LIS at Pushkar (providing irrigation to command area of Polavaram Irrigation Project)-Pump House(Will cease to operate after Polavaram becomes operational) | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.7 Balance Works of item 4.6 only | | | | | |
| | 4.8 LIS at Tadipudi (providing irrigation to command area of Polavaram Irrigation Project)- Pump Houses (Will cease to operate after Polavaram becomes operational) | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.9 Balance Works of item 4.8 only | | | | | |
| | 4.10 Pattiseema LIS for item 4.2(Will cease to operate after Polavaram becomes operational) | AP | Major | Completed (after 2/6/2014) | Unapproved | Operational |
| | 4.11 Purushothapatnam LIS-Pump Houses at Stage-I and Stage-I(Will cease to operate after Polavaram becomes operational) | AP | Major | Completed (after 2/6/2014) | Unapproved | Operational |
| | 4.12 Purushothapatnam LIS-Works other than 4.11 | | | | | |
| 5 | Sir Arthur Cotton Barrage (Godavari Delta System) | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 5.1 Reservoir and Barrages; Dowlaiswaram Arm, Ralli Arm, Madduru Arm & Vijjeswaram Arm | | | | | |
| | 5.2 Navigation locks/Channels, Fish Passes and Head Regulators; Eastern Delta, Central Delta, Western Delta and Pitapuram Head | | | | | |
| | 5.3 Balance Works other than 5.1 and 5.2 | | | | | |
| 6 | LIS at Thorrigedda | AP | Medium | Completed | Pre-TAC* | Operational |
| | 6.1 Pump house | | | | | |
| | 6.2 Balance Works other than 6.1 | | | | | |
| 7 | LIS at Chintalapudi | AP | Major | Ongoing (after 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| | 7.1 Pump Houses of Stage-I and Stage-II | | | | | |
| | 7.2 Head Regulator on Vempadu- NS LMC 21 st Major Link under Chintalapudi LIS | | | | | |
| | 7.3 Balance Works other than 7.1 and 7.2 | | | | | |
| 8 | LIS at Chagalnadu | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 8.1 Pump House | | | | | |
| | 8.2 Balance Works other than 8.1 | | | | | |
| 9 | LIS at Venkatnagaram | AP | Medium | Completed | Unapproved | Operational |
| | 9.1 Pump House | | | | | |
| | 9.2 Balance Works other than 9.1 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|-----------|------------|-----------------|
| 10 | Ghanpur Anicut | TS | Major | Completed | Pre-TAC | Operational |
| | 10.1 Head Regulators of Mehboob Nehar and Fateh Nehar Canals | | | | | |
| | 10.2 Balance works other than 10.1 | | | | | |
| 11 | Nizam Sagar Project | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 12 | Sriram Sagar Project- Stage-I (at Pochampad and Lower Manair dam) | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 12.1 Cross regulator on Kakatiya canal near Geesugonda town under Sri Ram Sagar Project Stage-I | | | | | |
| | 12.2 Balance Works other than 12.1 | | | | | |
| 13 | Indiramma Flood Flow Canal (at Pochampad and Mid Manair dam) | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 14 | Kaddam Narayana Reddy Project | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 15 | Kinnerasani Project | TS | Major | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 16 | Pocharam Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 17 | Nallavagu Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 18 | Kaulasnala Irrigation Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 19 | Swarna Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 20 | Khanapur (Sadarmat) Channels | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 21 | Ramadugu Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 22 | Sudhavagu Irrigation Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 23 | Upper Manair Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 24 | Shanigaram Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 25 | Salivagu Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 26 | Ramappa Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 27 | Boggulavagu Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 28 | Sathnala Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 29 | Vattivagu Stage-1 and 2 | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 30 | Chelamelavagu Irrigation Project (NTR Sagar) | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 31 | Laknavaram lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 32 | Taliperu Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 33 | Mallurvagu Scheme | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 34 | Mukkamamidi Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 35 | P V Narsimha Rao Kanthalapally Barrage | TS | Major | Ongoing | Unapproved | Non-Operational |
| 36 | Gollavagu Reservoir Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 37 | Rallivagu Reservoir Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 38 | Bhupathipalem Reservoir | AP | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 39 | Mathadivagu Reservoir Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 40 | Yerravagu Irrigation Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 41 | Peddavagu Project (Komaram Bhim)-Ada | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 42 | Nilwai Reservoir Project (Peddavagu) | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 43 | Pedavagu diversion scheme at Jagannadapur | TS | Medium | Ongoing | Approved | Non-Operational |

| | | | | | | |
|----|--|----|--------|--------------------------------|------------|-----------------|
| 44 | Kaleshwaram Project | TS | Major | Ongoing (after 2/6/2014) | Approved | Operational |
| | 44.1 Barrage at Medigadda and Pumping Station at Kannepally | | | | | |
| | 44.2 Barrages at; Annaram, Sundila and Yellampally | | | | | |
| | 44.3 Pump Houses at village; Annaram, Goilwada and Vemnur | | | | | |
| | 44.4 Cross Regulator on Canal from Kondapochamma Sagar to Shamirpet Lake | | | | | |
| | 44.5 Cross Head Regulator after bifurcation point towards Malkangiri / Gandhamalla Reservoir | | | | | |
| | 44.6 Balance Works other than 44.1 to 44.5 | | | | | |
| 45 | Kaleswaram Project (Additional 1 TMC/day) | TS | Major | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| | 45.1 Pump House at Kannepally | | | | | |
| | 45.2 Balance Works other than 45.1 | | | | | |
| 46 | J. Chokka Rao LIS | TS | Major | Ongoing | Approved | Operational |
| | 46.1 Pump House at Gangaram | | | | | |
| | 46.2 Regulator on Ramappa lake - Pakhal lake Link | TS | Medium | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Operational |
| | 46.3 Balance Works other than 46.1 and 46.2 | | | | | |
| 47 | Tupakulagudem Barrage | TS | Major | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| 48 | Gundlavagu Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 49 | Modikuntavagu Project | TS | Medium | Ongoing | Unapproved | Non-Operational |
| 50 | Palemvagu Irrigation Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 51 | M Baga Reddy Singur (Irrigation and W.S) project | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 51.1 Water Supply to Hyderabad-Secunderabad twin cities Phase III and IV of Singur Dam | TS | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 51.2 Manjira Barrage and Water Supply for Phase I and II to twin cities | TS | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 51.3 Works other than 51.1 and 51.2 | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 52 | Dharmasagar Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 53 | Stambhampalle Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 54 | Mucherla Nagaram Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 55 | Korkishala Maat(Channels) | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 56 | Rollavagu Reservoir | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 57 | Bolicheruvu(Bandam) | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |

| | | | | | | |
|----|--|----------------|--------|--------------------------|---|------------------------|
| 58 | Chowtpally Hanumanth Reddy Lift Irrigation Scheme | Ts | Medium | Completed | Unapproved | Operational |
| 59 | Kandukurthi LIS | TS | Medium | Completed | Unapproved | Operational |
| 60 | Head regulator of RBC at RD 18.98 km of common canal under Lendi Project | MH-TS | Major | Completed | Approved (GWDT AWARD-as per Cl VII(a) of Annex-II to Annex-A” | Operational |
| 61 | Lower Penganga Project Complex | MH-TS | Major | Ongoing | Approved (GWDT AWARD-as per Cl VII(a) of Annex-II to Annex-A” and MH-TS Agreement | Operational |
| | 61.1 Rudhra (Chanaka-Korta) Barrage | | | | | |
| | 61.2 Hattighat Barrage | | | | | |
| 62 | Baba Sagar Project | TS | Medium | Completed | NA | Operational |
| 63 | Dr B R Ambedkar Pranahita Project | TS | Major | Ongoing | Unapproved | Non-operational |
| 64 | Gudem Lift Irrigation Scheme | TS | Major | Completed | Unapproved | Operational |
| 65 | Boath Project | TS | Medium | Completed | NA | Operational |
| 66 | Alisagar LIS (village-Kosli) | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 67 | Gutpha LIS (village-Umeda) | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 68 | Mukteshwar (Chinna Kaleshwaram) LIS | TS | Major | Ongoing | Unapproved | Operational |
| | 68.1 Pump House at Kannepally | | | | | |
| | 68.2 Balance Works other than 68.1 | | | | | |
| 69 | Sitarama (Rajiv Dummugudem) LIS | TS | Major | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| | 69.1 Pump House –I with 6 pumps at BG Kotturu(V),Aswapuram (M), Kothagudem Distt | | | | | |
| | 69.2 Dummugudem Weir, Navigation Channel and Locks | TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational except NCL |
| | 69.3 Balance Works other than 69.1 and 69.2 | | | | | |
| 70 | Machkund Hydroelectric Project (Erstwhile Andhra Pradesh Share) | Odisha – AP/TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 71 | Sileru Power Complex | AP/TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| | 71.1 Dam, Reservoirs and connecting canals of (i) Upper sileru PH 240 MW (ii) Lower sileru PH 460 MW | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | (iii) Donkarayi canal PH 25 MW | | | | | |
| | 71.2 Balance Works other than 71.1 | | | | | |

*Pre-TAC project shall be deemed to have been approved.

SCHEDULE-2

Head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines of the projects/components as per information available in Ministry of Jal Shakti over which GRMB will have jurisdiction.

| Sl. No | Name of the Project/ Component | State | Category | Status | Approval status | Operational status as on date |
|--------|---|-------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Peddavagu Reservoir Scheme (Gummadipally) Item 1.1 of Schedule 1 (i)(Earthen Dam with Spillway (ii) Sluice for RMC (iii) Sluice for LMC (iv) Canal/Regulating Structure Between 2 nd and 3 rd Distributory in LMC (v) Canal/Regulating Structure Between 4 th and 5 th Distributory in RMC) | TS/AP | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 2 | Polavaram Project and related projects near Polavaram (V), 42 KM upstream of Sir Aurthur Cotton Barrage. | | | | | |
| | Item 4.1 of Schedule 1 (Polavaram Irrigation Project (PIP): Reservoir, Head Works, Spillway and River Sluices, Fish Pass, Connectivity's, OT Regulators, Navigation canal and Samarlakota Head) | AP | Major | Ongoing | Approved | Non operational |
| | Item 4.2 of Schedule 1 (RMC for Transfer 80TMC for Krishna River replacing Krishna Delta Supplies thereby utilizing the replaced 80TMC waters for projects above Nagurjanasagar) | AP/TS | Major | Ongoing | Approved | Partial operational |
| | Item 4.3 of Schedule 1 (Head Regulator at Godavari Water diverted to Krishna (Augmentation of NS-LMC command (21/11, 21/10B) under Polavaram Project)) | AP | Major | Ongoing | Approved | Non operational |
| | Item 4.4 of Schedule 1 (Polavaram Hydro Electric Power Plant of 960 MW) | AP | Major | Ongoing | Approved | Non operational |
| | Item 4.6 of Schedule 1 (Thota Venkatachalam LIS at Pushkar (providing irrigation to command area of Polavaram Irrigation Project)-Pump House) | AP | Major | Completed | Approved | Operational |

| | | | | | | |
|---|---|----|--------|----------------------------|------------|-----------------|
| | (Will cease to operate after Polavaram becomes operational) | | | | | |
| | 4.8 of Schedule 1 (LIS at Tadipudi (providing irrigation to command area of Polavaram Irrigation Project)-Pump Houses) (Will cease to operate after Polavaram becomes operational) | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | 4.10 of Schedule 1 (Pattiseema LIS for item 4.2 of Schedule I) (Will cease to operate after Polavaram becomes operational) | AP | Major | completed (After 2/6/2014) | Unapproved | Operational |
| | 4.11 of Schedule 1 (Purushothapatnam LIS-Pump Houses at Stage-I and Stage-II) (Will cease to operate after Polavaram becomes operational) | AP | Major | Completed (After 2/6/2014) | Unapproved | Operational |
| 3 | Sir Arthur Cotton Barrage (Godavari Delta System) | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | Item 5.1 of Schedule 1 (Reservoir and Barrages; Dowlaiswaram Arm, Ralli Arm, Madduru Arm & Vijjeswaram Arm) | | | | | |
| | Item 5.2 of Schedule 1 (Navigation locks/Channels, Fish Passes and Head Regulators; Eastern Delta, Central Delta, Western Delta and Pitapuram Head) | | | | | |
| 4 | LIS at Thorrigedda | AP | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| | Item 6.1 of Schedule 1 (Pump house) | | | | | |
| 5 | LIS at Chintalpudi | AP | Major | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| | Item 7.1 of Schedule 1 (Pump Houses at Stage-I and Stage-II) | | | | | |
| | Item 7.2 of Schedule 1 (Head Regulator on Vempadu- NS LMC 21 st Major Link under Chintalapudi LIS) | | | | | |
| 6 | LIS at Chagalnadu | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | Item 8.1 of Schedule 1 (Pump House) | | | | | |
| 7 | LIS at Venkatnagaram | AP | Medium | Completed | Unapproved | Operational |
| | Item 9.1 of Schedule 1 (Pump House) | | | | | |
| 8 | Sriram Sagar Project- Stage-I (at Pochampad and Lower Manair dam) | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| | Item 12.1 of Schedule 1 (Cross regulator on Kakatiya canal near | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|--------|--------------------------|------------|------------------------|
| | Geesugonda town under Sri Ram Sagar Project Stage-I) | | | | | |
| 9 | Kaleshwaram Project | TS | Major | Ongoing (After 2/6/2014) | Approved | Operational |
| | Item 44.1 of Schedule 1 (Barrage at Medigadda and Pumping Station at Kannepally) | | | | | |
| | Item 44.4 of Schedule 1 (Cross Regulator on Canal from Kondapochamma Sagar Shamirpet Lake | | | | | |
| | Item 44.5 of Schedule 1 (Cross Head Regulator after bifurcation point towards Malkangiri / Gandhamalla Reservoir) | | | | | |
| 10 | Kaleswaram Project (Additional 1 TMC/day) | TS | Major | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| | Item 45.1 of Schedule 1 (Pump House at Kannepally) | | | | | |
| 11 | J. Chokka Rao LIS | TS | Major | Ongoing | Approved | Operational |
| | Item 46.1 of Schedule 1 (Pump House at Gangaram) | | | | | |
| | Item 46.2 of Schedule 1 (Regulator on Ramappa lake - Pakhal lake Link) | TS | Medium | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Operational |
| 12 | Tupakulagudem Barrage | TS | Major | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| 13 | Mukteshwar (Chinna Kaleshwaram) LIS | TS | Major | Ongoing | Unapproved | Operational |
| | Item 68.1 of Schedule 1 (Pump House at Kannepally) | | | | | |
| 14 | Sitarama (Rajiv Dummugudem) LIS | TS | Major | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| | Item 69.1 of Schedule 1 (Pump House -I with 6 pumps at BG Kotturu(V), Aswapuram(M), Kothagudem Distt) | | | | | |
| | 69.2 Dummugudem Weir, Navigation Channel and Locks | TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational except NCL |
| 15 | Machkund Hydroelectric Project (Erstwhile Andhra Pradesh Share) | Odisha - AP/TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 16 | Sileru Power Complex | AP/TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| | Item 71.1 of Schedule 1 (Dam, Reservoirs and connecting canals of (i) Upper sileru PH 240 MW (ii) Lower sileru PH 460 MW (iii) Donkarayi canal PH 25 MW) | | | | | |

SCHEDULE-3

Head works (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines of the projects/components as per information available in Ministry of Jal Shakti over which GRMB will have jurisdiction.

| Sl. No | Name of the Project/ Component | State | Category | Status | Approval status | Operational status as on date |
|--------|---|-------|----------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Peddavagu Reservoir Scheme (Gummadipally) Excluding Item 1.1 of Schedule 1 (i) Earthen Dam with Spillway (ii) Sluice for RMC (iii) Sluice for LMC (iv) Canal/Regulating Structure Between 2 nd and 3 rd Distributory in LMC (v) Canal/Regulating Structure Between 4 th and 5 th Distributory in RMC) | TS/AP | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 2 | Sri K.V.Rama Krishna (Surampalem) Reservoir Scheme | AP | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 3 | Musurumilli reservoir | AP | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 4 | Polavaram Project near Polavaram (V), 42 KM upstream of Sir Aurthur Cotton Barrage. | | | | | |
| | Item 4.5 of Schedule 1 (Balance Works other than 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4 of Schedule 1) | AP | Major | Ongoing | Approved | Partially Operational |
| | Item 4.7 of Schedule 1 (Other than Pump House of Thota Venkatachalam LIS at Pushkar (providing irrigation to command area of Polavaram Irrigation Project)) | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | Item 4.9 of Schedule 1 (Other than Pump Houses of LIS at Tadipudi (providing irrigation to command area of Polavaram Irrigation Project)) | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | Item 4.10 of Schedule 1 (other than pump house of Pattiseema LIS) | AP | Major | Completed (after 2/6/2014) | Unapproved | Operational |
| | Item 4.11 of Schedule 1 (Other than Pump houses of Stage-I and Stage-II Purushothapatnam LIS) | AP | Major | Completed (after 2/6/2014) | Unapproved | Operational |
| 5 | Sir Arthur Cotton Barrage (Godavari Delta System) | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| | Excluding Item 5.1 of Schedule 1 (Reservoir and Barrages; Dowlaiswaram Arm, Ralli Arm, Madduru Arm and Vijjeswaram Arm) and | | | | | |
| | Excluding Item 5.2 of Schedule 1 (Navigation locks/Channels, Fish | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|----|--------|---------------------------|------------|-----------------|
| | Passes and Head Regulators; Eastern Delta, Central Delta, Western Delta and Pitapuram Head) | | | | | |
| 6 | LIS at Thorrigedda excluding Pump House | AP | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 7 | LIS at Chintalpuudi | AP | Major | Ongoing (after 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| | Excluding Item 7.1 of Schedule 1 (Pump Houses of Stage 1 and Stage-I) and | | | | | |
| | Excluding Item 7.2 of Schedule 1 (Head Regulator on Vempadu- NS LMC 21 st Major Link under Chintalapudi LIS) | | | | | |
| 8 | LIS at Chagalnadu excluding Pump House | AP | Major | Completed | Approved | Operational |
| 9 | LIS at Venkatnagaram excluding Pump House | AP | Medium | Completed | Unapproved | Operational |
| 10 | Ghanpur Anicut | TS | Major | Completed | Pre-TAC | Operational |
| | 10.1 Head Regulators of Mehboob Nehar and Fateh Nehar Canals | | | | | |
| | 10.2 Balance works other than 10.1 | | | | | |
| 11 | Nizam Sagar Project | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 12 | Sriram Sagar Project- Stage-I (at Pochampad and Lower Manair dam) | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| | Excluding Item 12.1 of Schedule 1 (Cross regulator on Kakatiya canal near Geesugonda town under Sri Ram Sagar Project Stage-I) | | | | | |
| 13 | Indiramma Flood Flow Canal (at Pochampad and Mid Manair dam) | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 14 | Kaddam Narayana Reddy Project | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 15 | Kinnerasani Project | TS | Major | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 16 | Pocharam Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 17 | Nallavagu Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 18 | Kaulasnala Irrigation Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 19 | Swarna Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 20 | Khanapur (Sadarmat) Channels | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 21 | Ramadugu Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 22 | Sudhavagu Irrigation Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 23 | Upper Manair Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 24 | Shanigaram Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 25 | Salivagu Project | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 26 | Ramappa Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 27 | Boggulavagu Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 28 | Sathnala Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 29 | Vattivagu Stage-1 and 2 | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------------------------|------------|-----------------|
| 30 | Chelamelavagu Irrigation Project(NTR Sagar) | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 31 | Lakhnnavaram lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 32 | Taliperu Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 33 | Mallurvagu Scheme | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 34 | Mukkamamidi Project | TS | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 35 | P V Narsimha Rao Kanthalapally Barrage | TS | Major | Ongoing | Unapproved | Non-Operational |
| 36 | Gollavagu Reservoir Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 37 | Rallivagu Reservoir Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 38 | Bhupathipalem Reservoir | AP | Medium | Completed | Approved | Operational |
| 39 | Mathadivagu Reservoir Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 40 | Yerravagu Irrigation Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 41 | Peddavagu Project (KomaramBhim)-Ada | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 42 | Nilwai Reservoir Project (Peddavagu) | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 43 | Pedavagu diversion scheme at Jagannadapur | TS | Medium | Ongoing | Approved | Non-Operational |
| 44 | Kaleshwaram Project | TS | Major | Ongoing (after 2/6/2014) | Approved | Operational |
| | Excluding Item 44.1 of Schedule 1 (Barrage at Medigadda and Pumping Station at Kannepally), | | | | | |
| | Excluding Item 44.4 of Schedule 1 (Cross Regulator on Canal from Kondapochamma Sagar Shamirpet Lake) and | | | | | |
| | Excluding Item 44.5 of Schedule 1 (Cross Head Regulator after bifurcation point towards Malkangiri / Gandhamalla Reservoir) | | | | | |
| 45 | Kaleswaram Project (Additional 1 TMC/day) | TS | Major | Ongoing (after 2/6/2014) | Approved | Non-Operational |
| | Excluding Item 45.1 of Schedule 1 (Pump House at Kannepally) | | | | | |
| 46 | J. Chokka Rao LIS | TS | Major | Ongoing | Approved | Operational |
| | Excluding Item 46.1 of Schedule 1 (Pump House at Gangaram) and | | | | | |
| | Excluding Item 46.2 of Schedule 1 (Regulator on Ramappa lake - Pakhal lake Link) | TS | Medium | Ongoing (after 2/6/2014) | Unapproved | Operational |
| 47 | Tupakulagudem Barrage | TS | Major | Ongoing (after 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| 48 | Gundlavagu Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 49 | Modikuntavagu Project | TS | Medium | Ongoing | Unapproved | Non-Operational |
| 50 | Palemvagu Irrigation Project | TS | Medium | Ongoing | Approved | Operational |
| 51 | M Baga Reddy Singur (Irrigation and W.S) project | TS | Major | Completed | Approved | Operational |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|--------------------------|--|-----------------|
| | 51.1 Water Supply to Hyderabad-Secunderabad twin cities Phase III and IV of Singur Dam | TS | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 51.2 Manjira Barrage and Water Supply for Phase I and II to twin cities | TS | NA | Completed | Approved | Operational |
| | 51.2 Works other than 51.1 and 52.2 | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 52 | Dharmasagar Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 53 | Stambhampalle Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 54 | MucherlaNagaram Lake | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 55 | KorkishalaMaat(Channels) | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 56 | Rollavagu Reservoir | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 57 | Bolicheruvu(Bandam) | TS | Medium | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 58 | Chowtpally Hanumanth Reddy Lift Irrigation Scheme | TS | Medium | Completed | Unapproved | Operational |
| 59 | Kandukurthi LIS | TS | Medium | Completed | Unapproved | Operational |
| 60 | Head regulator of RBC at RD 18.98 km of common canal under Lendi Project | MH/TS | Major | Completed | Approved (GWDT AWARD-as per CI VII(a) of Annexure-II to Annexure "A" | Operational |
| 61 | Lower Penganga Project Complex | MH/TS | Major | Ongoing | Approved (GWDT AWARD-as per CI VII(a) of Annexure-II to Annexure "A" and MH-TS Agreement | Operational |
| | 61.1 Rudhra (Chanaka-Korta) Barrage | | | | | |
| | 62.2 Hattighat Barrage | | | | | |
| 62 | Baba Sagar Project | TS | Medium | Completed | NA | Operational |
| 63 | Dr B R Ambedkar Pranahita Project | TS | Major | Ongoing | Unapproved | Non-operational |
| 64 | Gudem Lift Irrigation Scheme | TS | Major | New | Unapproved | Operational |
| 65 | Boath Project | TS | Medium | Completed | NA | Operational |
| 66 | Alisagar LIS (village-Kosli) | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 67 | Gutpha LIS (village-Umedda) | TS | Major | Completed | Approved | Operational |
| 68 | Mukteshwar (ChinnaKaleshwaram) LIS | TS | Major | Ongoing | Unapproved | Operational |
| | Excluding Item 68.1 of Schedule 1 (Pump House at Kannepally) | | | | | |
| 69 | Sitarama (Rajiv Dummugudem) LIS | TS | Major | Ongoing (After 2/6/2014) | Unapproved | Non-Operational |
| | Excluding item 69.1 of Schedule 1 (Pump House -I with 6 pumps at BG Kotturu(V),Aswapuram(M), Kothagudem Distt) and | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|----|-----------|---------|------------------------|
| | Excluding item 69.2 of Schedule 1 (Dummugudem Weir, Navigation Channel and Locks) | TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational except NCL |
| 70 | Machkund Hydroelectric Project (Erstwhile Andhra Pradesh Share) | Odisha /AP/TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| 71 | Sileru Power Complex | AP/TS | NA | Completed | Pre-TAC | Operational |
| | Excluding Item 71.1 of Schedule 1 | | | | | |

[F. No. R-22012/1/2021-Pen.Riv-MOWR]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.